प्रेषक,

जिलाधिकारी
झाँसी।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली–1100011

संख्याः 357 /एस०टी०–एनजी०टी० /2022–23 दिनांक 25 मार्च, 2023

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 165/2021 गिरजाशंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुपालन में एक्शन टेकन रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा A.O. संख्या–165/2021 गिरजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 में दिये गये आदेशानुसार गठित समिति की बैठक आहूत करते हुये सम्बन्धित विभागों से अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त की गयी। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के स्तर से गठित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार की गयी है, जो पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि कृपया गठित समिति द्वारा तैयार की गयी आख्या दिनांक 25.03.2023 मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ के समक्ष अग्रेत्तर निर्देशार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न–समिति की आख्या दिनांक 25.03.2023

भवदीय,
25/3/23

जिलाधिकारी,
झाँसी।

संख्या व दिनांक तद्दिनांक

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–5 उ०प्र० शासन लखनऊ को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 के कम में सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण झाँसी को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 के कम में अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर E.A. No. 38/2022, O.A. No. 165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँक 14–12–2022 के अन्तर्गत गठित समिति की अनुपालन आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष O.A. No. 165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 14–12–2022 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :–

" 1. This execution application has been filed for implementing order of this Tribunal dated 14.09.2022 passed in OA No. 165/2021, Girja Shankar Rai & Ors. vs. State of Uttar Pradesh & Ors. and EA No. 02/2022 in OA No. 114/2021, Narendra Kushwaha vs. State of Uttar Pradesh read with order dated 10.10.2022 passed in Review Application No. 33/2022 in EA No. 02/2022 in OA No. 114/2021, Narendra Kushwaha vs. State of Uttar Pradesh alleging that no efforts are being made by the authorities for restoration of Nagar Park, Jhansi which was shown as such in Jhansi Master Plans 2001 and 2021, despite orders passed by this Tribunal.

2. By order dated 14.9.2022, original application was disposed of which was in respect of unauthorized encroachments and pollution in Laxmi Tal as also Nagar Park at Jhansi. Principal Secretary, Urban Development, UP himself appeared and assured that illegal encroachments shall be removed, whereafter, original application was finally disposed of. Operative part of order in para 5 and 6 reads as under:

> *"5. However, learned Principal Secretary, UD, UP, submits that upholding the law by removing the encroachment will in fact improve the law and order. We are of the view that the Rule of Law has to be upheld and it is absurd to say that if lawful action is taken law and order situation will deteriorate which means illegality should be tolerated and lawlessness allowed. It is responsibility of the State to protect Water bodies by way of completely stopping entry of sewage into the Tal which are significant for environment. The State is to act as trustee and not whimsically as thought by the Commissioner in taking an untenable plea to defeat the law. There is no question of deterioration of law and order in doing so.*
> *6. In this view of the matter, we record the assurance of learned Principal Secretary, UD, UP that further remedial action will be taken for protection of water body by controlling the pollution and removing the encroachments, following due process of law. It appears that against 26 MLD of STPs only 8-10 MLD is treated which needs to be looked into and remedied. In absence of recharging source for the Tal, treated sewage compliant with BOD and Fecal Coliform level may be used for filling the Tal and growing fisheries into it."*

3. With regard to Nagar Park, there was some confusion, hence Review Application No. 33/2022 was filed which was disposed of by order dated 10.10.2022 which reads as under:

> *"1. This Application seeks review of order of this Tribunal dated 14.09.2022 in O.A No. 165/2021, Girja Shankar Rai & Ors. v. State of Uttar Pradesh & Ors. In fact, the grievance in the application is confined to seeking clarification that directions to remove encroachments are not confined to buffer zone of lake but also cover the area shown as park in the master plan.*
> *2. Para 1 of the order shows that grievance about encroachments in park as per Jhansi Master Plan 2021 is mentioned. In operative part of the directions, while directing removing encroachments, park is not specifically mentioned. Consistent with the tenor of the 3 order, direction has to cover encroachments of the park also. We clarify accordingly. The Review Application is disposed of. A copy of this order be forwarded to the Principle Secretary, U.D, U.P, Commissioner, Jhansi, Vice Chairman, Jhansi Development Authority and DM, Jhansi by email for compliance. If any grievance survives, it will be open to the aggrieved party to take remedies afresh in accordance with law."*

4. The applicant has stated in this execution application that a large number of unauthorized constructions on Nagar Park had continued and no action has been taken or is being taken, by authorities, till date. This is a serious matter. Responsible authorities must be aware that noncompliance of order of this Tribunal is an offence under Section 26 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') and the order of this Tribunal being at par with decree of Civil Court under Section 25 of the said Act, executable in terms of Section 51 of CPC, which can include procedure of civil imprisonment of the authorities who are violating the order and not executing the same.

5. However, in order to have information about ground level situation, we find it appropriate to constitute a Committee headed by an independent authority. Therefore, we constitute a Committee comprising MoEF&CC, State PCB, District Magistrate, Jhansi and SSP, Jhansi to look into the matter. District Magistrate, Jhansi shall be nodal agency for coordination and compliance. The Committee shall submit a factual report giving information about inventory and extent of encroachments on park land and remedial actions taken, if any, by the authorities concerned. The report may inter-alia cover total area of park at its original stage and the area encroached now. Remedial actions in terms of restoration of park to its original entity may also be provided.

6. We also direct Vice Chairman, Jhansi Development Authority and District Magistrate, Jhansi as also Principal Secretary, Urban Development, UP to submit a report as to what action has been taken in this regard and if no action has been taken then to show cause as to why appropriate action may not be taken against them for non-compliance of orders of this Tribunal.

7. The above reports shall be submitted within two months from today by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

8. List for further consideration on 17.02.2023.

9. A copy of this order be forwarded to MoEF&CC, Principal Secretary, Urban Development, UP, State PCB, Vice Chairman, Jhansi Development Authority, District Magistrate, Jhansi and SSP, Jhansi by e-mail for compliance. "

माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 14—12—2022 के पैरा—5 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF&CC), उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट झांसी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी की कमेटी बनाते हुए तथ्यात्मक आख्या (Factual Report) प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया है। **उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी झाँसी द्वारा दिनांक 30.12.2022 को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :—**

1. जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
3. श्री डी0के0सोनी, वैज्ञानिक—ई, प्रतिनिधि—सी0पी0सी0बी0 (जूम लिंक द्वारा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे—

1. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण,झाँसी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
3. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, नगरीय झाँसी।

फोटो—मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 30.12.2022

उक्त बैठक में समिति द्वारा माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुपालन में नगर निगम से लक्ष्मीतालाब से अवैध अतिक्रमण को हटाने, नगर निगम व जल निगम से लक्ष्मीतालाब में प्रदूषित जल को रोकने व झाँसी विकास प्राधिकरण से नगर पार्क के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करके आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी व सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये। **(संलग्न–1 बैठक का कार्यवृत्त)**

प्रकरण में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में पुनः दिनांक 08.02.2023 को गठित समिति की बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया –

1. जिला मजिस्ट्रेट,झाँसी।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,झाँसी।
3. श्री डी0के0सोनी, वैज्ञानिक–ई, प्रतिनिधि–सी0पी0सी0बी0 (जूम लिंक द्वारा)
4. डा0 सत्या, वैज्ञानिक–ई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रा0, एकीकृत क्षेत्रीय कार्या0 लखनऊ (जूम लिंक द्वारा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे–

1. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण,झाँसी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
3. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, नगरीय झाँसी।
4. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।

उक्त बैठक में समिति द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के दिनांक 14.12.2022 के अनुपालन में नगर निगम को लक्ष्मीतालाब से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही तथा उसमें विकास कार्य एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जल निगम को लक्ष्मी तालाब में कुल कितने गंदे नालों का पानी प्रवाहित हो रहा है (संख्यावार व नामवार), कितने नालों का पानी टेप कर लिया गया है व कितने नालों का पानी एस0टी0पी0 में टेप होने से शेष रह गया है, के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। झांसी विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित नगर पार्क क्षेत्र में सर्वे कार्य कराकर शत–प्रतिशत भवन स्वामियों को सुसंगत धाराओं में नोटिस व नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। **(संलग्न–2 बैठक का कार्यवृत्त)**

फोटो–मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 08.02.2023

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुपालन हेतु कृत कार्यवाही का विवरण :–

लक्ष्मी तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही –

मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुपालन में नगर निगम झाँसी द्वारा **लक्ष्मीताल** पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या 155 दिनांक 03.01.2023, पत्र सं0 663 दिनांक 20.01.2023, पत्र सख्या 691 दिनांक 06.02.2023, पत्र संख्या 715 दिनांक 13.02.2023, पत्र संख्या 716 दिनांक 13.02.2023, पत्र संख्या 717 दिनांक 13.02.2023, पत्र संख्या 768 दिनांक 03.03.2023, पत्र संख्या 799 दिनांक 18.03.2023, पत्र संख्या 811 व 814, दिनांक 24.03.2023 के द्वारा पूर्व में समय–समय पर अद्यतन रिपोर्टें प्रस्तुत की गयीं हैं। **(संलग्नक–3)**

नगर निगम द्वारा प्रस्तुत अन्तिम अद्यतन आख्या दिनांक 24.03.2023 में उल्लेख किया गया है कि मौजा डडियापुरा की खतौनी वर्ष 1427 लगायत 1432 फसली के खाता संख्या 585 पर 60 किता रकवा 33.068 हे0 लक्ष्मी तालाब के रूप में दर्ज है जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है एवं नगर निगम झाँसी के प्रबन्धन में है। इस भूमि में सात मन्दिर व एक मजार तथा दो मकान अवैध रूप से बने हुये पाये गये थे। इस भूमि में उल्लिखित सात मंदिरों में से एक मंदिर (अतिक्रमण) तालाब के बीच में है, इस अतिक्रमण का अस्तित्व पानी भरने के साथ धीरे–धीरे समाप्त हो जायेगा। श्री मनीराम पुत्र श्री बाबूलाल रायकवार व श्री जितेन्द्र रायकवार पुत्र श्री बाबूलाल रायकवार निवासी ढिमरयाना डडियापुरा झाँसी के द्वारा मौके पर दो अवैध मकान बने हुए पाये गये थे। श्री मनीराम का मकान लगभग 200 वर्गफुट में बना था, जो काफी पुराना था एवं श्री जितेन्द्र रायकवार द्वारा मा0 प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, मई 2021 में कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था, इन दोनो अतिक्रमणकर्ताओं को अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये दिनांक 21.12.2021 को दोनों मकानों को हटा दिया गया है।

दिनांक 21.12.2021 को लक्ष्मीताल से अतिकमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

अन्य मन्दिरों एवं मजार के अवैध कब्जे को हटाये जाने के लिए नोटिस दिनांक 01.12.2022 को निर्गत किये गये थे जिसमें अतिक्रमणकर्ताओ को 15 दिन के अन्दर अवैध कब्जा हटाये जाने के निर्देश दिये गये थे। पुनः दि0 27.12.2022 को नोटिस निर्गत किये गये एवं दि0 29.12.2022 को तिथि नियत करते हुये प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की टीम द्वारा कब्जा हटाये जाने का प्रयास किया गया था किन्तु शान्ति भंग की सम्भावनाओं को देखते हुये अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। मौके पर मन्दिर एवं मजार के प्रतिनिधियो द्वारा प्रशासन एवं नगर निगम के प्रतिनिधियो से करीब 03 घण्टे वार्ता के उपरान्त 15 दिवस का समय चाहा गया।

दिनांक 29.12.2022 को लक्ष्मीताल से अतिकमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

पुनः दिनांक 13.01.2023 को नोटिस निर्गत करते हुये कब्जा हटाये जाने हेतु दिनांक 18.01.2023 नियत की गई एवं दिनांक 18.01.2023 को मौके पर पुलिस, प्रशासन एवं नगर निगम की टीम द्वारा कब्जा हटाये जाने का प्रयास किया गया लेकिन फिर से सैकड़ों लोग इकटठे हो गये एवं नारे बाजी करने लगे और नगर निगम की जे0सी0बी0 के सामने लेट गये। लोगों के आक्रोश एवं मौके पर उपस्थित लोगों की आक्रामकता को देखते हुये अवैध कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

दिनांक 18.01.2023 को लक्ष्मीताल से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

इसके बाद दिनांक 24.01.2023 को नोटिस निर्गत करते हुये दिनांक 28.01.2023 को कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई परन्तु भारी संख्या में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही नही की जा सकी।

दिनांक 28.01.2023 को लक्ष्मीताल से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

इसके बाद दिनांक 07.02.2023 को नोटिस निर्गत करते हुये दिनांक 10.02.2023 को कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई परन्तु भारी संख्या में स्थानीय लोगो के विरोध के कारण कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही नही की जा सकी। स्थानीय लोगो एवं मजार के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद असलम खांन उर्फ सूफी अब्दुल सलाम खांन एवं उनके समर्थको का कथन है कि "उनके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 27.01.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 17.02.2023 उभय पक्षो के लिए नियत कर दी गई है तो उससे पहले अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही न की जाये। पुनः प्रार्थना पत्र की सुनवाई पर अगली तिथि 28.03.2023 नियत है।" दिनांक 18.01.2023 को मन्दिर के रूप में किये गये कब्जे को हटाये जाने के लिए दिये गये नोटिस दिनांक 13.01.2023 के विरूद्ध श्री बाबूलाल रायकवार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या शून्य/2023 बाबूलाल रायकवार बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य दिनांक 20.01.2023 को प्रस्तुत की गई है। उक्त रिट याचिका में नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया जा रहा है। इस प्रकार लोगों के आक्रामक विरोध के कारण मौके पर मन्दिरों व मजार तोडने की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

दिनांक 10.02.2023 को लक्ष्मी तालाब से अतिक्रमण की हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

अपर नगर आयुक्त पर लगाया झाँसी का माहौल बिगाड़ने का आरोप

लक्ष्मी ताल क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को न करें क्षतिग्रस्त : अंचल

लक्ष्मी तालाब की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने को पुनः दिनांक 21.03.2023 को नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 24.03.2023 को कब्जा हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी, परन्तु नवरात्रि/रामनवमीं पर्व के दौरान हिन्दु श्रद्वालुओं द्वारा मंदिरों /घरों /सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु पुलिस एवं पी0ए0सी0 बल पूर्व में अन्य थानों में उपलब्ध कराये जाने के कारण उक्त दिनांक को पुलिस बल प्राप्त न होने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। (भविष्य में अन्य तिथि नियत कर लक्ष्मीतालाब भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।) (संलग्नक–4–पुलिस रिपोर्ट)

लक्ष्मीतालाब में प्रवाहित प्रदूषण को रोकने की कार्यवाही –

मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुपालन में लक्ष्मी तालाब स्थित 26 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 संचालन के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय) के पत्र संख्या 73 दिनांक 23.01.2023, पत्र संख्या 144 दिनांक 10.02.2023, पत्र संख्या 238 दिनांक 06.03.2023, पत्र संख्या 289 दिनांक 22.03.2023, पत्र संख्या 297 दिनांक 23.03.2023 के द्वारा पूर्व में समय–समय पर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयीं हैं। (संलग्नक–5)

जल निगम द्वारा प्रेषित अन्तिम अद्यतन आख्या दिनांक 23.03.2023 में उल्लेख किया गया है कि ''नेशनल लेक कन्जरवेशन प्लान (NLCP) के अन्तर्गत लक्ष्मीताल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण योजना के अन्तर्गत लक्ष्मीतालाब को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से लक्ष्मीताल के समीप 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण किया गया है। **लक्ष्मीताल में पूर्व से प्रवाहित किये जा रहे सातों नालों नामतः 1. कुबेरू नाला, 2. कसाई मण्डी नाला, 3. लक्ष्मीताल नाला 4. जोशियाना नाला, 5. बंगलाघाट नाला, 6. डिमरयाना नाला, 7. ओम शांति नगर नाला को टेप कर उनसे प्राप्त सीवेज को एस.टी.पी. के माध्यम से शोधित किया जा रहा है तथा किसी भी नाले का गन्दा पानी न तो लक्ष्मीताल में प्रवाहित हो रहा है और न ही किसी अन्य जगह प्रवाहित किया जा रहा है।** जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित संयुक्त टीम की आख्या संलग्न है। वर्तमान में एस.टी.पी. पूर्ण क्षमता पर संचालित है औसतन 17 एम.एल.डी. से 26 एम.एल.डी. सीवेज को शोधित किया जा रहा है, जिसमे से 4 एम.एल.डी. शोधित जल को पुनः शोधन कर लक्ष्मीतालाब में तथा अवशेष शोधित जल को नारायण बाग नाले में प्रवाहित किया जा रहा है। 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर प्राप्त होने वाले सीवेज एवं शोधित सीवेज जल के पैरामीटरों का परीक्षण एस0टी0पी0 पर अधिष्ठापित प्रयोगशाला में नियमित रूप से किया जा रहा है।'' जिसमें निम्न विवरण के अनुसार पैरामीटर प्राप्त हो रहे है, जो कि मानकों के अनुरूप है :–

Inlet and Outlet parameters for 26 MLD STP Laxmital Jhansi

Sl. No.	Parameters	Unit	As per Contract Bond quality standards		Current Achievement of Treated Effluent at STP
			Influent sewage/ Inlet	Treated Sewage/ Outlet	
1	pH	--	6.5-8.5	6.5-8.5	**7.4-7.5**
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Mg/lit	180-200	10 or less	**6.0-9.9**
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	Mg/lit	400-500	100 or less	**42.0-55.0**
4	Total Suspended Solids (TSS)	Mg/lit	250-300	30 or less	**11.0-23.0**
5	Fecal Coliform Count	MNP	10	<1000	**480**

Outlet parameters for 4 MLD Tursury treatment plant at 26 MLD STP Laxmital Jhansi

Sl. No.	Parameters	Unit	Treated Sewage/ Outlet	Achievement of quality standards
1	pH	--	6.5-8.5	**7.3-7.5**
2	Dissolved Oxygen		≥ 5	**4.00**
3	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Mg/lit	≤ 3	**2.2-3.0**
4	Fecal Coliform Count	MNP	2500 or 1000	**950**

उक्त एस0टी0पी0 से शोधित जल के नमूनों का परीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 झाँसी द्वारा भी नियमित समय पर किया जा रहा है, जिनकी परीक्षण रिपोर्ट में शोधित जल के पैरामीटर मानकों के अनुरूप पाये गये है। (संलग्नक–6)

लक्ष्मीताल में स्थित 26 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के फोटोग्राफ

लक्ष्मीतालाब में कोई भी अशोधित सीवेज प्रवाहित नहीं होने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 03 माह की वाटर क्वालिटी एनालैसिस रिपोर्ट प्राप्त की गयी। **प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार माह जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गयी गुणवत्ता रिपोर्ट के तुलनात्मक परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी तालाब के जल की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है।** लक्ष्मीतालाब के जल की शुद्वता तथा एस0टी0पी0 के जल की गुणवत्ता हेतु क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा समय–समय पर नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है व गुणवत्ता जांच हेतु नमूना संग्रहित किये जाते हैं।

नगर निगम द्वारा अपनी आख्या दिनांक 24.03.2023 में अवगत कराया है कि ''नगर निगम के द्वारा लक्ष्मी तालाब के सौन्दर्यीकरण के दृष्टिगत तालाब के चारों तरफ पाथवे, पाथवे पर सुरक्षा के दृष्टिगत जाली, चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल, बड़े नाले का निर्माण, दो पार्क, सेन्ट्रल आईलैण्ड, प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य कराये जा रहे हैं। लक्ष्मी तालाब में सेन्ट्रल आईलैण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।'' एस0टी0पी0 से चार एम0एल0डी0 शोधित जल को लक्ष्मी तालाब में छोड़ना प्रारम्भ कर दिया गया है (जिससे लक्ष्मीतालाब का वाटर लेवल मेन्टेन रहे) तथा लक्ष्मी तालाब में कोई भी नाला/अशोधित जल नहीं जा रहा है। **(संलग्नक–7–महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता स्मार्ट सिटी लि0 झांसी की आख्या)**

लक्ष्मीतालाब के चारों ओर बने बाउन्ड्रीवॉल के फोटोग्राफ्स

लक्ष्मीतालाब क्षेत्र के विकास कार्य/सौन्दर्यीकरण के फोटोग्राफ्स

फोटो– गठित समिति द्वारा लक्ष्मी तालाब का स्थलीय निरीक्षण

नगर पार्क से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही –

मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुपालन में झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी द्वारा नगरपार्क की भूमि पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या 4130 दिनांक 26.01.2023, पत्र संख्या 4517 दिनांक 07.02.2023, पत्र संख्या 4847 दिनांक 13.02.2023, पत्र सं0 4967 दिनांक 15.02.2023, पत्र संख्या 5179 दिनांक 01.03.2023, पत्र संख्या 5519, दिनांक 23.03.2023 एवं संख्या 5581 दिनांक 24.03.2023 के द्वारा पूर्व में समय–समय पर अद्यतन रिपोर्टें प्रस्तुत की गयीं हैं। (संलग्नक–8)

झाँसी विकास प्राधिकरण के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुपालन में अपनी **अद्यतन आख्या दिनांक 23.03.2023 व 24.03.2023** में निम्नवत उल्लेख किया है :–

1–झाँसी महायोजना–2001 के प्रस्तर 2.3.5 के अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत 967.17हे0 भूमि प्रस्तावित की गई थी। महायोजना के प्रस्तर 2.3.5.1 के अनुसार महायोजना में कुल 504.83हे0 भूमि नगर पार्क, प्रखण्डीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थलों आदि के लिये प्रस्तावित की गई थी। महायोजना 2001 के अनुसार नगर के पूर्व स्थित लक्ष्मीताल एवं नारायण बाग के समीप के आस–पास की भूमि पर 98.38हे0 के क्षेत्र को नगर पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव महायोजना में किया गया था। **(संलग्नक–9)**

झाँसी महायोजना–2001 के प्रस्तर 2.3.5.1 के अनुसार महायोजना में कुल 504.83हे0 भूमि नगर पार्क, प्रखण्डीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थलों आदि के लिये प्रस्तावित की गई है। झांसी महायोजना–2021 के अनुसार कुल 641.93हे0 भूमि प्रखण्डीय पार्क हेतु प्रस्तावित की गई है। झांसी महायोजना–2001 एवं 2021 जी0आई0एस0 आधारित न होने के कारण राजस्व ग्राम वार प्रखण्डीय पार्क किस ग्राम में कितना हे0 है यह उल्लिखित नहीं है।

झाँसी महायोजना 2021 के अनुसार राजस्व ग्राम पिछोर, डड़ियापुरा, तालपुरा, झांसी खास एवं झाँसी सिविल में नगर पार्क प्रस्तावित किया गया है। जिसमें नगर पार्क हेतु कुल 205.57हे0 भूमि प्रस्तावित है। झांसी महायोजना–2021 के अनुसार राजस्व ग्राम–झांसी खास में 24.52हे0 भूमि, राजस्व ग्राम–झांसी सिविल में 10.57हे0 भूमि, राजस्व ग्राम–डडियापुरा में 121.44हे0 भूमि, राजस्व ग्राम–तालपुरा में 11.31हे0 भूमि, राजस्व ग्राम–पिछोर में 37.73हे0 भूमि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित की गई है। जिसमें राजस्व ग्राम–पिछोर, डड़ियापुरा एवं तालपुरा की भूमि 170.48हे0 है, में से 44.74हे0 शासकीय भूमि पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क पूर्व से विकसित है। शेष 125.74हे0 निजी कास्तकारों की है।

2–नगर पार्क की भूमि पर सर्वेक्षण टीम गठित कर पुलिस बल के साथ सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें निजी काश्तकारों द्वारा प्रबल विरोध किये जाने के कारण सर्वेक्षण का कार्य करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार 125.74हे0 (निजी कास्तकारों) भूमि में से 25.32हे0 भूमि रिक्त है, जो अलग–अलग टुकड़ों में स्थित है। **सर्वेक्षण में कुल 2390 भवन पाये गये, जिसमें उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। उक्त क्षेत्र में लगभग 13000 लोग निवासरत हैं। यह क्षेत्र घनी एवं मिश्रित आबादी के बीच बसा हुआ है, वहां के निवासियों द्वारा प्रबल विरोध किया जा रहा है।**

3–अवैध निर्माण को रोकने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें 115 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें से 26 प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन हैं, तथा इनमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं। सम्बन्धित प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है। शेष प्रकरणों में स्थल पर ध्वस्तीकरण किये जाने हेतु पुलिस बल के साथ कार्यवाही की गयी है। इस क्षेत्र में घनी एवं मिश्रित आबादी के कारण स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण इन प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं हो सकी है।

4—झांसी महायोजना—2021 में प्रस्तावित नगर पार्क की रिक्त भूमि पर अनाधिकृत निर्माण तथा भूमि के विक्रय को रोकने के उद्देश्य से रिक्त भूमि पर साईन बोर्ड लगाये गये हैं।

5—उसी प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02.01.2023 के अनुपालन में राजस्व ग्राम—झांसी खास, बूढ़ा एवं नयागांव की आराजी संख्याओं का टीम द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें झांसी महायोजना 2021 के सजरा प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम—बूढ़ा के आराजी संख्या—38, 132 एवं 133 का भू—उपयोग प्रस्तावित व्यवसायिक (केन्द्रीय क्रियायें—उच्च स्तर) है, आराजी संख्या—123 का भू—उपयोग प्रस्तावित आवासीय (मध्यम घनत्व) है एवं आराजी संख्या—297, 298, 300, 304 एवं 305 का भू—उपयोग प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम—नयागांव के आराजी संख्या—560/8 एवं 560/9 का झांसी महायोजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित भू—उपयोग उद्योग (वृहद उद्योग) है।

फोटो—झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर पार्क क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य

6—वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम—बूढ़ा, नयागांव एवं झांसी खास क्षेत्र में प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण एवं प्रखण्डीय पार्क के क्षेत्रफल का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 220 भवनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। यह क्षेत्र घनी एवं मिश्रित आबादी के बीच बसा हुआ है। जहां पर निजी कास्तकारों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रबल विरोध किया जा रहा है जिससे क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। इस कारण सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने में लगभग 02 माह का अतिरिक्त समय लगने की सम्भावना है।

7—झाँसी महायोजना 2021 में राजस्व ग्राम पिछोर, डड़ियापुरा एवं तालपुरा में प्रस्तावित नगर पार्क (नारायण बाग को छोड़कर) 100.42हे0 के स्थान पर झांसी महायोजना 2031 में राजस्व ग्राम बिजौली में 210.00हे0 अतिरिक्त भूमि में नगर पार्क घोषित किया गया है। झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित ग्रीन एरिया 1280.62हे0 है, जबकि झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में घोषित ग्रीन एरिया 2325.69हे0 है।

झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली से राजस्व ग्राम बूढा, नयागांव एवं झांसी खास क्षेत्र में प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क की भूमि का सर्वेक्षण का कार्य करने में 02 माह का अतिरिक्त समय दिलाये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

फोटो—गठित समिति द्वारा राजस्व ग्राम बूढ़ा में झाँसी विकास प्राधिकरण के सर्वेक्षण कार्य का स्थलीय सत्यापन

समिति द्वारा अभिलेखीय व स्थलीय निरीक्षण के आधार पर पाया गया कि लक्ष्मीतालाब की भूमि पर सात पुराने छोटे मन्दिर तथा एक मजार तथा दो अवैध मकान बने हुये पाये गये हैं। इस भूमि में उल्लिखित सात मंदिरों में से एक मंदिर (अतिक्रमण) तालाब के बीच में है, इस अतिक्रमण का अस्तित्व पानी भरने के साथ धीरे–धीरे समाप्त हो जायेगा। नगर निगम द्वारा पूर्व में लक्ष्मीतालाब की भूमि पर अवस्थित दोनों अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। शेष ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में समय–समय पर नगर निगम द्वारा पुलिस बल के सहयोग से कब्जा हटाने की कार्यवाही की जा रही है, परन्तु भारी संख्या में स्थानीय लोगों के विरोध व शांति–व्यवस्था के दृष्टिगत अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। लक्ष्मीतालाब में भविष्य में कोई अतिक्रमण न हो इसके लिये नगर निगम द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण व सौन्दर्यीकरण कार्य के अन्तर्गत पार्क व हरित पट्टी का विकास किया जा रहा है।

लक्ष्मीतालाब में प्रदूषित जल को रोकने के लिये जल निगम द्वारा लक्ष्मीतालाब में पूर्व से प्रवाहित किये जा रहे सातों नालों नामतः 1. कुबेरू नाला, 2. कसाई मण्डी नाला, 3. लक्ष्मीताल नाला 4. जोशियाना नाला, 5. बंगलाघाट नाला, 6. डिमरयाना नाला, 7. ओम शांति नगर नाला को टेप कर उनसे प्राप्त सीवेज को एस.टी.पी. के माध्यम से शोधित किया जा रहा है तथा किसी भी नाले का गन्दा पानी वर्तमान में न तो लक्ष्मीतालाब में प्रवाहित हो रहा है और न ही किसी अन्य जगह प्रवाहित किया जा रहा है।

झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में नगर पार्क क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण को हटाने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक कुल 2390 भवनों का सर्वेक्षण कर समस्त लोगों को नोटिस जारी किए जाने की कार्यवाही की जा चुकी है, जिसमें लगभग 13000 लोग निवासरत हैं। इसके साथ ही साथ 115 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण के आदेश किए गए थे परन्तु कुछ प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने और बाकी शेष प्रकरणों में स्थानीय लोगों के प्रबल विरोध तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था की समस्या के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

उक्त के साथ–साथ झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन एरिया विकसित करने के पीछे के पर्यावरणीय उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु झाँसी महायोजना–2021 में प्रस्तावित 1280.62 हेक्टेयर के सापेक्ष झाँसी महायोजना–2031(ड्राफ्ट) में घोषित ग्रीन एरिया 2325.69 हेक्टेयर घोषित करना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही झाँसी महायोजना–2031(ड्राफ्ट) में राजस्व ग्राम बिजौली में 210.00 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि नगर पार्क हेतु भी घोषित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का निरन्तर अनुपालन किया जा रहा है।

झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण कराने में लगभग 02 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तदनुसार समिति की आख्या माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर निर्देशार्थ सादर प्रस्तुत है।

25.03.23
(डॉ. सत्या)
वैज्ञानिक–ई
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

25.3.2023
(दीपा अरोरा)
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी,
प्रतिनिधि–एस0पी0सी0बी0
झाँसी।

25/03/23
(राजेश एस.)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
झाँसी।

25/3/23
(रविन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी, झाँसी।
(सदस्य / नोडल एजेंसी)

संलग्नक-1

1

"मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली" के गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2022 में दिये गये निर्देशानुसार समिति की बैठक दिनांक 30.12.2022 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 30.12.2022 को "मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली" के गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2022 में दिये गये निर्देशानुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक की गयी। जिसमें निम्नवत पदाधिकारी/अधिकारी उपस्थित रहे।

1. श्री डी0के0सोनी, सी0पी0सी0बी0(Zoom Link, qma-zfsy-odg के द्वारा)
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
3. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।
4. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम नगरीय इकाई,झाँसी।

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 14.12.2022 में बिन्दु सं0 4, 5, 6 पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश के क्रम में लक्ष्मीताल पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में नगर निगम की ओर से अवगत कराया गया कि पूर्व में लक्ष्मीताल से अतिक्रमण को हटाया गया था, किन्तु मंदिर व मजार को हटाये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिनांक 01.12.2022 को नोटिस जारी कर 15 दिवस में स्वतः अतिक्रमण हटाये जाने की अपेक्षा की गयी, तदोपरान्त पुनः नोटिस निर्गत कर दिनांक 29.12.2022 तक कब्जा हटाये जाने हेतु नोटिस दी गयी। जिसके उपरान्त दिनांक 29.12.2022 को कब्जा हटाये जाने हेतु आवश्यक पुलिस बल व नामित मजिस्ट्रेट के साथ मौके पर कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही की गयी, किन्तु मौके पर काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाने व Law & Order का Issue बनने के कारण मंदिर व मजार से अतिक्रमण नही हटाया जा सका।

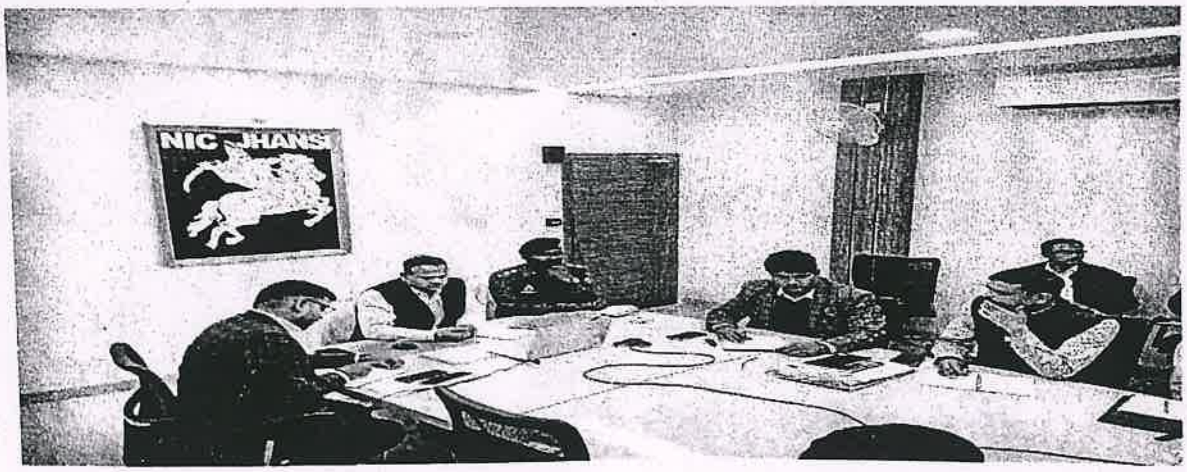

परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम के द्वारा अवगत गया कि लक्ष्मीताल में स्थित 26 एम0एल0डी0 क्षमता का एसटीपी का संचालन(सीवेज शोधन) किया जा रहा है। जिसमें प्रतिदिन 16 से 17 एम0एल0डी0 सीवेज को शोधित किया जा रहा है। माह सितम्बर, 2022 में सीवेज की मात्रा 22.17 एम0एल0डी0 एवं माह अक्टूबर, 2022 में 18.81 एम0एल0डी0 सीवेज शोधित किया गया था। वर्तमान में 17 एम0एल0डी0 तक सीवेज प्राप्त हो रहा है जिसका मानक के अनुसार शोधन किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत लक्ष्मीताल के चारों तरफ नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो माह जनवरी, 2023 में पूर्ण हो जायेगा और उसके बाद लक्ष्मीताल में शोधित पानी जाना शुरू हो जायेगा।

उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 न्यायालय के पूर्व आदेशानुसार प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माणों को रोकने हेतु 115 प्रकरणों मे नोटिस निर्गत करते हुये कार्यवाही की गयी एवं ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये। जिसके विरूद्व अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय व आयुक्त न्यायालय में वाद दायर किये गये जो मा0 न्यायालयो में विचाराधीन है।

जिसमे पैरवी की जा रही है। झाँसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित नगर पार्क की रिक्त भूमि पर निर्माण कार्य न होने देने तथा भूमि विक्रय को रोकने के उद्देश्य से रिक्त भूमि पर साईन बोर्ड लगाये गये है। प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि में अनाधिकृत निर्माणों में से लगभग 590 भवनों का सर्वे किया जा चुका है, अवशेष भवनों के सर्वे का कार्य वर्तमान में चल रहा है। प्रस्तावित निजी कास्तकारों की भूमि में से निजी काश्तकारो की 100.42हे0 भूमि मास्टर प्लान 2031 में भू–उपयोग प्रस्तावित नगर पार्क के स्थान पर प्रस्तावित आवासीय किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। महायोजना 2021 में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि के स्थान पर झाँसी महायोजना 2031 में राजस्व ग्राम बिजौली में नगर पार्क प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी श्री डी0के0सोनी के द्वारा सम्बन्धित विभागों के स्तर से की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में कहा गया, कि नगर निगम के स्तर से लक्ष्मीताल के अतिक्रमण के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी है। उसका ऑडियो, वीडियो साक्ष्य के रूप में अवश्य बना लिया जाये, ताकि मा0 न्यायालय को अवगत कराया जा सके। इसके साथ ही साथ नगर पार्क हेतु चिन्हित भूमि पर नया कोई निर्माण कार्य न हो, इसके लिये प्रभावी कार्यवाही करा ली जाये।

अपर नगर आयुक्त नगर निगम द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत दूसरा एस0टी0पी0(26एम0एल0डी0) लहरगिर्द में बन रहा है, जो कि दिसम्बर, 2023 में पूर्ण हो जायेगा। जिसमें शहर के अन्य नालों का डायवर्जन उसमें किया जायेगा।

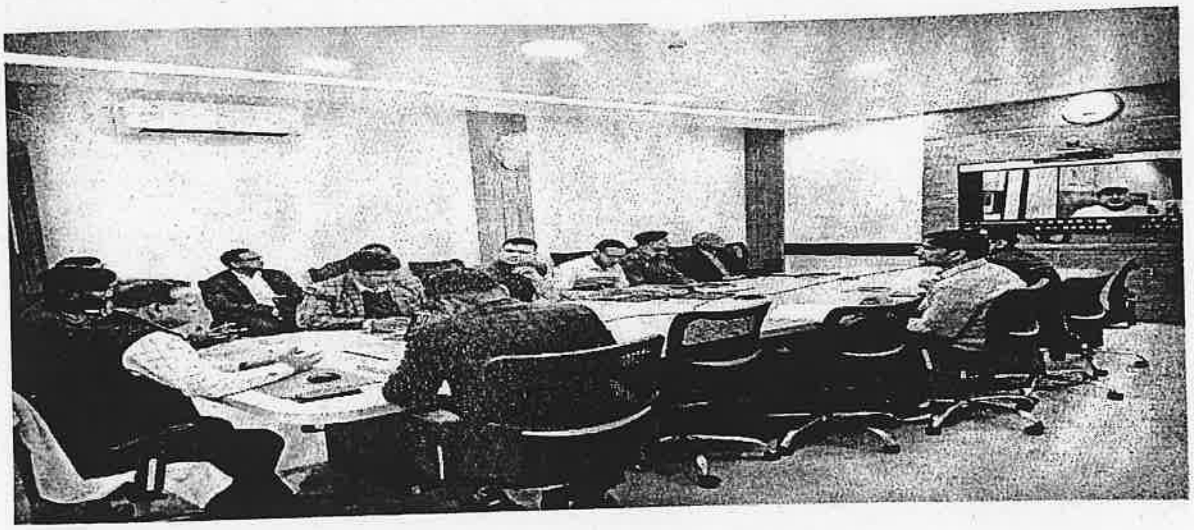

विभागीय स्तर से अबतक की गयी कार्यवाही के आधार पर बैठक में हुये विचार विमर्श के उपरान्त सम्बन्धित विभागों के स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही करायी जाये।

मा0 न्यायालय के आदेशानुसार लक्ष्मीताल की भूमि पर समस्त अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु नगर निगम के स्तर से पुनः कार्यवाही करायी जाये। जिसमें विधिवत नोटिस आदि की प्रक्रिया अपनाते हुये वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करायी जाये।

(कार्यवाही नगर आयुक्त नगर निगम/नगर मजिस्ट्रेट नामित मजिस्ट्रेट)

नगर पार्क की भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माणों के सम्बन्ध में सर्वे कार्य अधिकतम एक सप्ताह में पूर्ण कराते हुये नियम विरूद्व भू–उपयोग/निर्माण करने वाले शत प्रतिशत भवन स्वामियों को नोटिस देकर विधिवत कार्यवाही करायी जाये। इसके साथ ही साथ नगर पार्क की रिक्त भूमि पर कोई नया निर्माण न हो, इसके लिये कर्मचारियों की तैनाती कर उत्तरदायत्वि सौपा जाये।

(कार्यवाही–उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण)

लक्ष्मीताल के चारों ओर जो नाला बनाया जा रहा है। उसका कार्य 22 जनवरी, 2023 तक अवश्य पूर्ण करा लिया जाये। जिससे सीवेज शोधित कर पानी का निकास हो सके। शान्ति नगर से जो नाला निकला हुआ है। उस नाले को 25 एम0एल0डी0 के अनुसार डायर्वजन कराये जाने के सम्बन्ध में नगर

निगम व जल निगम प्लान व नक्शा तैयार कर डायवर्जन के सम्बन्ध में कार्यवाही करायें। इसके साथ ही साथ शहर से जिन नाले/नालियों का सीवेज लक्ष्मीताल में आता है। उन नाले व नालियों के सीवेज शोधन हेतु नगर निगम के सतर से लहरगिर्द में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 (26एम0एल0डी0) का कार्य युद्व स्तर पर पूर्ण करा लिया जाये।

(कार्यवाही– नगर आयुक्त, नगर निगम व परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम नगरीय इकाई)

अन्त में बैठक स:धन्यवाद समाप्त की गयी।

दिनांक: जनवरी, 2023

जिलाधिकारी
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

संख्या: 1967/23–स्था0नि0लि0–एन0जी0टी0–बैठक/2022–23 दिनांक 9 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकारी,झाँसी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
3. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), झाँसी।
4. नगर मजिस्ट्रेट, झाँसी।
5. परियोजना प्रबन्धक,उ0प्र0 जल निगम, नगरीय इकाई, झाँसी।

जिलाधिकारी
झाँसी।

संलग्नक -2

"मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली" के गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2022 में दिये गये निर्देशानुसार समिति की बैठक दिनांक 08.02.2023 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 08.02.2023 को "मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली" के गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2022 में दिये गये निर्देशानुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक की गयी। जिसमें निम्नवत पदाधिकारी/अधिकारी उपस्थित रहे।

1. श्री डी0के0सोनी, वैज्ञानिक–ई, सी0पी0सी0बी0 (Zoom Link के द्वारा)
2. डा0 सत्या, वैज्ञानिक–ई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रा0, एकी0क्षेत्रीय कार्या0लखनऊ (Zoom Link, के द्वारा)
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
4. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम नगरीय इकाई,झाँसी।
7. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, झाँसी।

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 14.12.2022 में बिन्दु सं0 4, 5, 6 पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश के क्रम पूर्व बैठक दिनांक 30.12.2022 के क्रम में लक्ष्मीताल पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में नगर निगम की ओर से अवगत कराया गया कि 18.01.2023 को मौके पर पुलिस, प्रशासन एवं नगर निगम की टीम द्वारा कब्जा हटाये जाने का प्रयास किया गया लेकिन फिर से सैकडों लोग इकटटे हो गये और नारे बाजी करने लगे और नगर निगम की जे0सी0बी0 के सामने लेट गये। लोगों के आक्रोश व शान्तिभंग की सम्भावना को देखते हुये कब्जा हटाने की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। पुनः दिनांक 24.01.2023 को नोटिस निर्गत करते हुये दिनांक 28.01.2023 को कब्जा हटाने की कार्यवाही की गयी, परन्तु भारी संख्या में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कब्जा हटाने की कायवाही नहीं की सकी। मजार के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद असीम खान उर्फ सूफी अब्दुल सलाम खान द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 27.01.223 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के लिये दिनांक 24.01.2023 को दिये ये नोटिस का क्रियान्वयन स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया है, किन्तु मा0 न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 38/2022 पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। श्री बाबूलाल रायकवार द्वारा भी उनके द्वारा बनाये गये मंदिरों को लेकर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.223 प्रस्तुत किया गया। जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गये है। मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के क्रम में फिर से अधिक संख्या में पुलिस बल प्राप्त करते हुये प्रशासन के सहयोग से पुनः कब्जा हटाये जाने हेतु 10.02.2023 की तिथि निर्धारित की गयी है।

परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम के द्वारा अवगत गया कि लक्ष्मीताल में स्थित 26 एम0एल0डी0 क्षमता का एसटीपी का संचालन कर (सीवेज शोधन) किया जा रहा है। दिनांक 01.01.2023 से 31.01. 2023 तक प्रतिदिन औसतन 14 से 17 एम0एल0डी0 तक सीवेज शोधित किया जा रहा है। संदर्भित एस0टी0पी0 से 26 एम0एल0डी0 तक सीवेज शोधित किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत लक्ष्मीताल के चारों तरफ नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नाले से प्राप्त सीवेज को भी उक्त एस0टी0पी0 के माध्यम से शोधित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माणों को रोकने हेतु 535 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी, जिसमें से 115 प्रकरणों ध्वस्तीकरण आदेश पारित

ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली" के गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2022 में दिये गये निर्देशानुसार समिति की बैठक दिनांक 08.02.2022 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 08.02.2022 को "मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली" के गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2022 में दिये गये निर्देशानुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक की गयी। जिसमें निम्नवत पदाधिकारी/अधिकारी उपस्थित रहे।

1. श्री डी0के0सोनी, सी0पी0सी0बी0 (Zoom Link के द्वारा)
2. डा0 सत्या, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोड, लखनऊ (Zoom Link, के द्वारा)
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
4. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम नगरीय इकाई,झाँसी।
7. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, झाँसी।

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 14.12.2022 में बिन्दु सं0 4, 5, 6 पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश के क्रम पूर्व बैठक दिनांक 30.12.2022 के क्रम में लक्ष्मीताल पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में नगर निगम की ओर से अवगत कराया गया कि 18.01.2023 को मौके पर पुलिस, प्रशासन एवं नगर निगम की टीम द्वारा कब्जा हटाये जाने का प्रयास किया गया लेकिन फिर से सैकडों लोग इकटटे हो गये और नारे बाजी करने लगे और नगर निगम की जे0सी0बी0 के सामने लेट गये। लोगों के आक्रोश व शान्तिभंग की सम्भावना को देखते हुये कब्जा हटाने की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। पुनः दिनांक 24.01.2023 को नोटिस निर्गत करते हुये दिनांक 28.01.2023 को कब्जा हटाने की कार्यवाही की गयी, परन्तु भारी संख्या में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कब्जा हटाने की कायवाही नहीं की सकी। मजार के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद असीम खान उर्फ सूफी अब्दुल सलाम खान द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 27.01.223 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के लिये दिनांक 24.01.2023 को दिये ये नोटिस का क्रियान्वयन स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया है, किन्तु मा0 न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 38/2022 पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। श्री बाबूलाल रायकवार द्वारा भी उनके द्वारा बनाये गये मंदिरों को लेकर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.223 प्रस्तुत किया गया। जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गये है। मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के क्रम में फिर से अधिक संख्या में पुलिस बल प्राप्त करते हुये प्रशासन के सहयोग से पुनः कब्जा हटाये जाने हेतु 10.02.2023 की तिथि निर्धारित की गयी है।

परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम के द्वारा अवगत गया कि लक्ष्मीताल में स्थित 26 एम0एल0डी0 क्षमता का एसटीपी का संचालन कर (सीवेज शोधन) किया जा रहा है। दिनांक 01.01.2023 से 31.01.2023 तक प्रतिदिन औसतन 14 से 17 एम0एल0डी0 तक सीवेज शोधित किया जा रहा है। संदर्भित एस0टी0पी0 से 26 एम0एल0डी0 तक सीवेज शोधित किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत लक्ष्मीताल के चारों तरफ नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नाले से प्राप्त सीवेज को भी उक्त एस0टी0पी0 के माध्यम से शोधित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माणों को रोकने हेतु 535 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी, जिसमें से 115 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित

किये गये। इनमें से 42 प्रकरण आयुक्त झाँसी मण्डल झाँसी के न्यायालय में विचाराधीन है व 26 प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर किये गये है, जिसमें मा0 उच्च न्यायलय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। झाँसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित नगर पार्क की रिक्त भूमि पर निर्माण कार्य न होने देने तथा भूमि विक्रय को रोकने के उद्देश्य से रिक्त भूमि पर साईन बोर्ड लगाये गये है। झाँसी महायोजना 221 में राजस्व ग्राम पिछोर, डडियापुरा व तालपुरा में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों के सर्वे का कार्य टीम गठित कर किया जा रहा है। सर्वे के अनुसार 1875 अनाधिकृत निर्माण पाये गये, जिसमें लगभग 10300 लोग निवासरत हैं। वर्तमान में कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। लक्ष्मीताल के निकट प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि का रकवा 170.48हे0 है, जो मौजा पिछोर, तालपुरा व डडियापुरा में स्थित है। प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि में 44.74हे0 शासकीय भूमि है, इस पर नारायणबाग के नाम से नगर पार्क पूर्व से विकसित है। प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि में शेष भूमि निजी काश्तकारों की है, जिसमें 25.31हे0 भूमि वर्तमान में रिक्त है। प्रस्तावित निजी कास्तकारों की भूमि में से निजी काश्तकारो की 100.42हे0 भूमि मास्टर प्लान 2031 में भू–उपयोग प्रस्तावित नगर पार्क के स्थान पर प्रस्तावित आवासीय किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। नगर के मध्य स्थित तालाब भूमि(लक्ष्मीताल) से सटी हुयी राजस्व ग्राम पिछोर, डडियापुरा एवं तालपुरा में झाँसी महायोजना 2021 में नगर पार्क हेतु प्रस्तावित की गयी है, जो निजी काश्तकारों की भूमि है। इस भूमि का धनाभाव के कारण प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण नहीं किया जा सका तथा अभी तक यह भूमि निजी काश्तकारों के स्वामित्व में है, अपने स्वामित्व के आधार पर उनके द्वारा लगातार विक्रय किया जा रहा है। महायोजना 2021 में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि के स्थान पर झाँसी महायोजना 2031 में राजस्व ग्राम बिजौली में नगर पार्क प्रस्तावित किया गया है।

अपर नगर आयुक्त नगर निगम द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत दूसरा एस0टी0पी0(26एम0एल0डी0) लहरगिर्द में बन रहा है, जो लगभग दो माह में पूर्ण हो जायेगा। जिसमें शहर के अन्य नालों का डायवर्जन उसमें किया जायेगा।

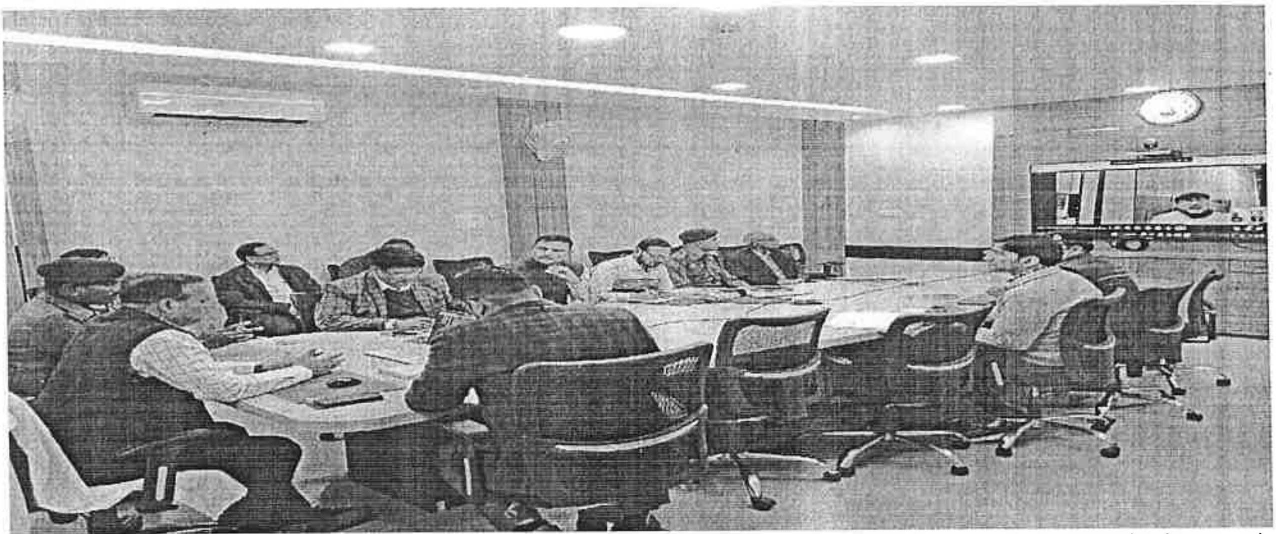

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी श्री डी0के0सोनी के द्वारा सम्बन्धित विभागों के स्तर से की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में कहा गया, कि नगर निगम के स्तर से लक्ष्मीताल के अतिक्रमण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुये लक्ष्मीताल में शोधित सीवेज को एस0टी0पी0 क्षमता के अनुसार आस पास के नालों को टैप करा लिया जाये, ताकि एस0टी0पी0 की क्षमता के अनुसार सीवेज शोधित कर लक्ष्मीताल में जा सके।

उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी डा0 सत्या के द्वारा श्री डी0के0सोनी के तथ्यों का समर्थन करते हुये अपेक्षित कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

विभागीय स्तर से अबतक की गयी कार्यवाही के आधार पर बैठक में हुये विचार विमर्श के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित विभागों के स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

<u>नगर निगम</u>

1–मा0 न्यायालय के आदेशानुसार लक्ष्मीताल की भूमि से समस्त अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु नगर निगम के स्तर से निरन्तर प्रयास करते हुये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

2– लक्ष्मीताल में कराये जा रहे निर्माण कार्य को शीघ्र अति शीघ्र कराया जाये, ताकि पूर्व में तय की गयी एस0टी0पी0 04 एम0एल0डी0 शोधित पानी लक्ष्मीताल में प्रवाहित किया जा सके व जल की गुणवत्ता को बढाया जा सके।

3–लहरगिर्द में निमार्णाधीन द्वितीय एस0टी0पी0 का कार्य भी युद्ध स्तर पर जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही नगर आयुक्त नगर निगम / नगर मजिस्ट्रेट नामित मजिस्ट्रेट)

झाँसी विकास प्राधिकरण

1–झाँसी विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांक 07.02.2023 में नगर पार्क का प्रस्तावित रकवा 170.48हे0 वर्णित किया गया है। जिसमें 44.74हे0 शासकीय भूमि है, जिस पर नारायण बाग के रूप मे नगर पार्क पूर्व से विकसित है व 125.74हे0 निजी कास्तकारों की भूमि है। अतः इस तथ्य की पुष्टि की जाये कि प्राधिकरण की आख्या दिनांक 07.02.2023 में वर्णित नगर पार्क का रकवा मास्टर प्लान 2021 में वर्णित रकवा के अनुसार है या नहीं।

2– मास्टर प्लान 2021 में नगर पार्क की भूमि पर अवैध कब्जा / निर्माणो के सम्बन्ध में सर्वे कार्य अधिकतम दो दिन में पूर्ण कराते हुये नियम विरूद्व भू–उपयोग / निमईणण करने वाले शत प्रतिशत भवन स्वामियों को नोटिस देकर विधिवत कार्यवाही करायी जाये। इसके साथ ही साथ नगर पार्क की रिक्त भूमि पर कोई नया निर्माण न हो, इसके लिये कर्मचारियेां की तैनाती कर उत्तरदायित्व सौंपा जाये। प्रकरण की कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक 12.02.2023 तक अवश्य उपलब्ध करायी जाये।

3– झाँसी विकास प्राधिकरण से नगर पार्क से सम्बन्धित जिन प्रकरणों में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये है, और जिन प्रकरणों में मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है, उन प्रकरणों में नियमुानसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक 12.02.2023 तक प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही–उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण)

पूर्व में लक्ष्मीताल में जितने भी नालों का प्रवाह किया जा रहा था उनमें से कितने नालों के पानी का शोधन वर्तमान में एस0टी0पी0 द्वारा किया जा रहा है। आवेदक की शिकायत के अनुसार बाकी नालों का अशोधित जल नगर पार्क से होते हुये बाहर जाता है। अतः वर्तमान में किन नालों का पानी एस0टी0पी0 में प्रवाहित हो रहा है व किन नालों का पानी एस0टी0पी0 से अन्यत्र प्रभावित हो रहा है। स्पष्ट विवरण दिनांक 12.02.2023 तक उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही– नगर आयुक्त, नगर निगम व परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम नगरीय इकाई)

अन्त में बैठक सःधन्यवाद समाप्त की गयी।

दिनांकः फरवरी, 2023

जिलाधिकारी
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

संख्याः 93(1) / 23–स्था0नि0लि0–एन0जी0टी0–बैठक / 2022–23 दिनांक 09 फरवरी, 2023

प्रतिलिप– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी।
2. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकारी,झाँसी।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी।
4. श्री डी0के0सोनी,सी0पी0सी0बी0।
5. डा0 सत्या, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,लखनऊ।
6. अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), झाँसी।
7. नगर मजिस्ट्रेट, झाँसी।
8. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम नगरीय, झाँसी।
9. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी,झाँसी।

जिलाधिकारी
झाँसी।

संलग्नक - 3

हरित झाँसी। स्वच्छ झाँसी।

झाँसी नगर निगम, झाँसी

कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com Office Contact No:0510-2332097

संख्या 811 पी0ए0 / न0आ0 / न0नि0 / 2022–23 दिनांक: 24-03-,2023

प्रेषक

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में

जिला मजिस्ट्रेट
झाँसी।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल प्रार्थना पत्र संख्या 165/2021 गिरजाशंकर राय आदि बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.09.2022 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 188/ओ0एस0डी0 दिनांक 21.12.2022 एवं 145/23–स्था0नि0लि0–एनजीटी/2022–23 दिनांक 23.02.2023 व 671/एस0टी0–विविध–नो0–एनजीटी/2022–23 दिनांक 04.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा **"मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसिंपल बैंच, नई दिल्ली"** के गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में दिये गये आदेश दिनांक 14.09.2022 के अनुपालन में अब तक की कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या चाही गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मौजा डडियापुरा की खतौनी वर्ष 1427 लगायत 1432 फसली के खाता संख्या 585 पर 60 किता रकवा 33.068 है0 लक्ष्मी तालाब के रूप में दर्ज है जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है एवं नगर निगम झाँसी के प्रबन्धन में है। इस भूमि में सात मन्दिर व एक मजार तथा दो मकान अवैध रूप से बनें हुये पाये गये। श्री मनीराम पुत्र श्री बाबूलाल रायकवार व श्री जितेन्द्र रायकवार पुत्र श्री बाबूलाल रायकवार निवासी ढिमरयाना डडियापुरा झाँसी के द्वारा मौके पर बने हुए पाये गये थे। श्री मनीराम का मकान लगभग 200 वर्गफुट में बना था, जो काफी पुराना था एवं श्री जितेन्द्र रायकवार द्वारा मा0 प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, मई 2021 में कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था, इन दोनो अतिक्रमणकर्ताओ को अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये दिनांक 21.12.2021 को दोनो मकानो को हटा दिया गया है।

दिनांक 21.12.2021 को लक्ष्मीताल से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

पृष्ठ–2

मन्दिरों एवं मजार के अवैध कब्जे को हटाये जाने के लिए नोटिस दिनांक 01.12.2022 को निर्गत किये गये थे जिसमें अतिक्रमणकर्ताओ को 15 दिन के अन्दर अवैध कब्जा हटाये जाने के निर्देश दिये गये थे। पुनः दि0 27.12.2022 को नोटिस निर्गत किये गये एवं दि0 29.12.2022 को तिथि नियत करते हुये प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की टीम द्वारा कब्जा हटाये जाने का प्रयास किया गया था किन्तु शान्ति भंग की सम्भावनाओ को देखते हुये अतिक्रमण नही हटाया जा सका। मौके पर मन्दिर एवं मजार के प्रतिनिधियो द्वारा प्रशासन एवं नगर निगम के प्रतिनिधियो से करीब 03 घण्टे वार्ता के उपरान्त 15 दिवस का समय चाहा गया।

दिनांक 29.12.2022 को लक्ष्मीताल से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

पुनः दिनांक 13.01.2023 को नोटिस निर्गत करते हुये कब्जा हटाये जाने हेतु दिनांक 18.01.2023 नियत की गई एवं दिनांक 18.01.2023 को मौके पर पुलिस, प्रशासन एवं नगर निगम की टीम द्वारा कब्जा हटाये जाने का प्रयास किया गया लेकिन फिर से सैकड़ो लोग इकट्ठे हो गये एवं नारे बाजी करने लगे और नगर निगम की जे0सी0बी0 के सामने लेट गये। लोगो के आक्रोश एवं मौके पर उपस्थित लोगो की आक्रामकता को देखते हुये अवैध कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही सम्भव नही हो सकी।

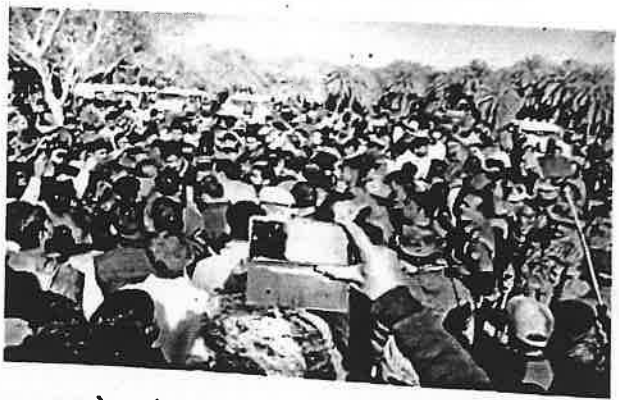

दिनांक 18.01.2023 को लक्ष्मीताल से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

इसके बाद दिनांक 24.01.2023 को नोटिस निर्गत करते हुये दिनांक 28.01.2023 को कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई परन्तु भारी संख्या में स्थानीय लोगो के विरोध के कारण कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही नही की जा सकी।

दिनांक 28.01.2023 को लक्ष्मीताल से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

इसके बाद दिनांक 07.02.2023 को नोटिस निर्गत करते हुये दिनांक 10.02.2023 को कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई परन्तु भारी संख्या में स्थानीय लोगो के विरोध के कारण कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही नही की जा सकी। स्थानीय लोगो एवं मजार के प्रतिनिधि श्री मोहम्मद असलम खांन. उर्फ सूफी अब्दुल सलाम खांन एवं उनके समर्थको का कथन है कि उनके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 27.01.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 17.02.2023 उभय पक्षो के लिए नियत कर दी गई है तो उससे पहले अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही न की जाये। पुनः प्रार्थना पत्र की सुनवाई पर अगली तिथि 28.03.2023 नियत है। दिनांक 18.01.2023 को मन्दिर के रूप में किये गये कब्जे को हटाये जाने के लिए दिये गये नोटिस दिनांक 13.01.2023 के विरूद्ध श्री बाबूलाल रायकवार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या शून्य/2023 बाबूलाल रायकवार बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य दिनांक 20.01.2023 को प्रस्तुत की गई है। उक्त रिट याचिका में नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया जा रहा है। इस प्रकार लोगो के आक्रामक विरोध के कारण मौके पर मन्दिरों व मजार तोडने की कार्यवाही सम्भव नही हो सकी।

दिनांक 10.02.2023 को लक्ष्मी तालाब से अतिक्रमण की हटाये जाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स

लक्ष्मी तालाब की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने को पुनः दिनांक 24.03.2023 को कब्जा हटाये जाने के लिए सम्बन्धित पक्षो को नोटिस निर्गत कर दिये गये है। इस प्रकार निर्धारित तिथि 24.03.2023 को कब्जा हटाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

लक्ष्मी तालाब के सौन्दर्यीकरण, सेन्ट्रल आईलैण्ड के निर्माण एवं लक्ष्मी तालाब में गिर रहे अशोधित जल के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् हैः–

1. लक्ष्मी तालाब के सौन्दर्यीकरण के दृष्टिगत तालाब के चारो तरफ पाथवे, पाथवे पर सुरक्षा की दृष्टिगत जाली, चारो तरफ बड़े नाले का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल, दो पार्क, सेन्ट्रल आईलैण्ड, प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य कराये जा रहे है।
2. लक्ष्मी तालाब में सेन्ट्रल आईलैण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

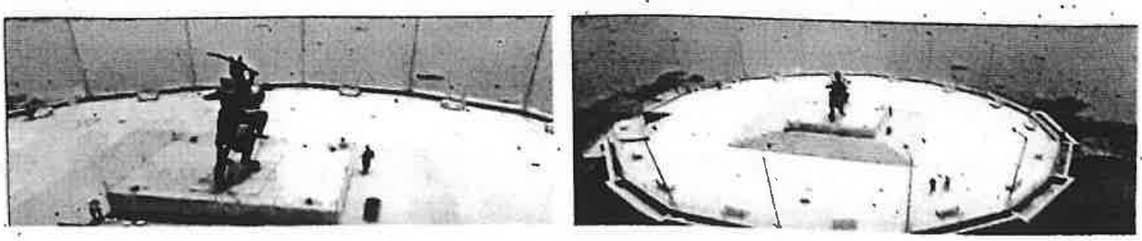

लक्ष्मी तालाब में सेन्ट्रल आईलैण्ड के फोटोग्राफ्स

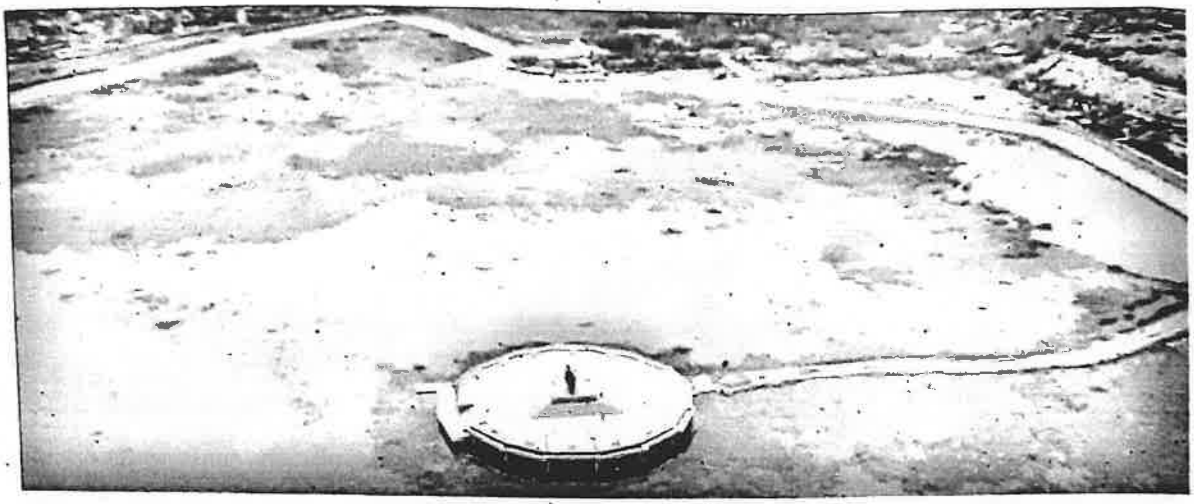

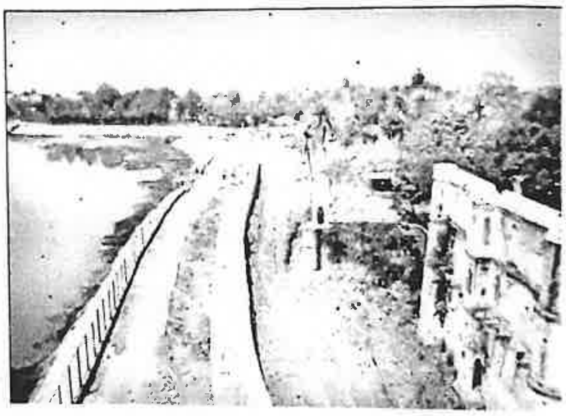

लक्ष्मीतालाब के विकास कार्य के फोटोग्राफ्स

3. ओम शान्ति नगर नाले को लक्ष्मी तालाब के चारो तरफ निर्मित नाले के माध्यम से जल निगम एस0पी0एस0–2 से जोड दिया गया है तथा लक्ष्मी ताल में कोई भी नाला/अशोधित जल नही जा रहा है। (महा प्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता स्मार्ट सिटी लि0 झाँसी की आख्या संलग्न है)।

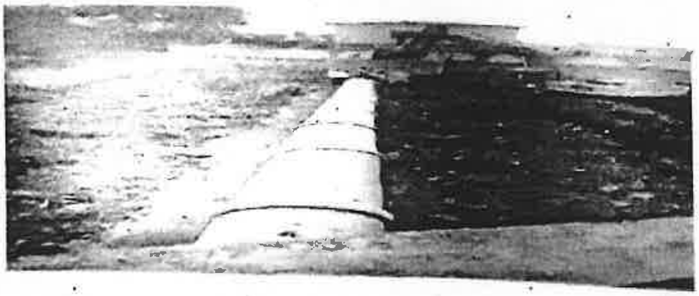

ओम शान्ति नगर के नाले को एस0टी0पी0 से जोड़ने के कार्य की फोटोग्राफ्स

4. एस0टी0पी0 से चार एम0एल0डी0 शोधित जल को लक्ष्मीं तालाब में छोडना प्रारम्भ कर दिया गया है।

फोटोः— शोधित जल लक्ष्मी तालाब में प्रवाहित होता हुआ

5. झाँसी महानगर में सीपरी बाजार क्षेत्र के समस्त नालो को डायवर्जित करते हुये लहरगिर्द में शिवपुरी वाई पास पर 111.82 करोड़ रूपये में एस0टी0पी0 प्लान्ट निर्माणाधीन है। जिसका मौके पर 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य 10 दिसम्बर 2023 तक पूरा कियें जाने की योजना है।

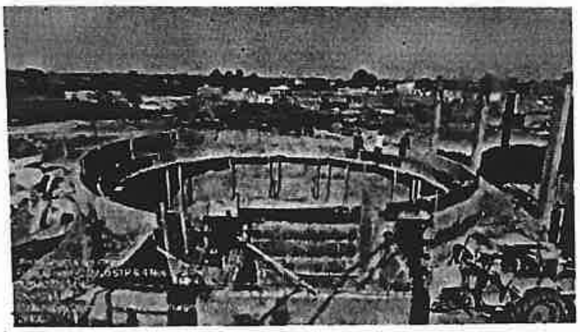

लहरगिर्द में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 के फोटोग्राफ्स।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या सादर प्रस्तुत है।

24/03/23
नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम झाँसी

 संलग्नक -4

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झाँसी।

पत्र सं0–एसटी पु0अ0नगर-14(कानून/शांति व्यवस्था)/2023 दिनांक–मार्च 23 2023

Dmc

सेवा में,

नगर आयुक्त,
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

m.c
23/3/23

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के मूल प्रार्थना पत्र सं0–165/2021 गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.09.2022का अनुपालन में अवैध कब्जा को हटाये जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया आप अपने पत्र संख्या–802 पी0ए0/ना0आ0/न0नि0/2022-2023 दिनाँक 20.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0–165/2021 गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–14.09.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण करते हुए लक्ष्मी तालाब भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश के अनुपालन कराने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक–24.03.2023 को न्यूनतम दो प्लाटून पी0ए0सी0 तथा 125 की संख्या में पुलिस बल मय महिला पुलिस उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि दिनांक–22.03.2023 से 30.03.2023 तक चैत्र नवरात्रि तथा रामनवमी का पर्व दिनांक–30.03.2023 को मनाया जाना प्रस्तावित है। नवरात्रि/रामनवमी पर्व के दौरान हिन्दू श्रद्धालुओं द्वारा मन्दिरों/घरों/सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा श्रद्धालुओं द्वारा जुलूसों एवं शोभयात्राओं के आयोजन किया जाता है, उक्त कार्यक्रमों के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था ड्यिूटी हेतु जनपद के अन्य थानों को पुलिस एवं पीएसी बल पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में दो प्लाटून पी0ए0सी0 तथा 125 की संख्या में पुलिस बल मय महिला पुलिस उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि लक्ष्मी तालाब भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में नवरात्रि बाद अन्य तिथि नियत करने का कष्ट करें।

आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है.।

23.03.2023
पुलिस अधीक्षक, नगर
जनपद–झाँसी।

प्रतिलिपिः–
1–जिलाधिकारी जनपद झाँसी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद–झाँसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–क्षेत्राधिकारी नगर जनपद झाँसी को आ0का0 एवं सूचनार्थ।
4–प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली झाँसी को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।

(5/1)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,

उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), ग्वालियर रोड, झाँसी संलग्नक - 5

Email Add:- pmcujnjhs@gmail.com Mob. 9473942722

पत्रांक 297 / W-9 / 12 दिनांक – 23/03/2023

सेवा में

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक/नोडल अधिकारी)
झाँसी।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल प्रा0पत्र सं0 165/2021 गिरजाशंकर राय आदि बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य व मूल प्रा0पत्र सं0 114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन विषयक।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 671/एस0टी0–विविध–नो0–एन0जी0टी0/2022–23 दिनाँक 04.03.2023 के अनुपालन में लक्ष्मीताल स्थित 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के संचालन संबंधी आख्या संलग्न सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मुकेश पाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं. एवं दिनांक यथोपरि।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, झाँसी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), झाँसी।

अधिशासी अभियन्ता

S.O./L.B.C
23/03/23

5/2

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल प्रा0पत्र सं0 165/2021 गिरजाशंकर राय आदि बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य व मूल प्रा0पत्र सं0 114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में आख्या

नेशनल लेक कन्जरवेशन प्लान (NLCP) के अन्तर्गत लक्ष्मीताल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण योजना के अन्तर्गत लक्ष्मीतालाब को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से लक्ष्मीताल के समीप 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण किया गया है।

लक्ष्मीताल में पूर्व से प्रवाहित किये जा रहे सातों नालों नामतः 1. कुबेरू नाला, 2. कसाई मण्डी नाला, 3. लक्ष्मीताल नाला 4. जोशियाना नाला, 5. बंगलाघाट नाला, 6. डिमरयाना नाला, 7. ओम शांति नगर नाला को टेप कर उनसे प्राप्त सीवेज को एस.टी.पी. के माध्यम से शोधित किया जा रहा है तथा किसी भी नाले का गन्दा पानी लक्ष्मीताल में प्रवाहित नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित संयुक्त टीम की आख्या संलग्न है। **(रिपोर्ट संलग्न)**

वर्तमान में एस.टी.पी. पूर्ण क्षमता पर संचालित है औसतन 17 एम.एल.डी. से 26 एम.एल.डी. **(रिपोर्ट संलग्न)** सीवेज को शोधित किया जा रहा है, जिसमे से 4 एम.एल.डी. शोधित जल को पुनः शोधन कर लक्ष्मीतालाब में तथा अवशेष शोधित जल को नारायण बाग नाले में प्रवाहित किया जा रहा है। वर्तमान में लक्ष्मीतालाब में किसी भी गन्दे नाले का पानी प्रवाहित नहीं हो रहा है, ना ही किसी अन्य जगह प्रवाहित हो रहा है।

26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर प्राप्त होने वाले सीवेज एवं शोधित सीवेज जल के पैरामीटरों का परीक्षण एस0टी0पी0 पर अधिष्ठापित प्रयोगशाला में नियमित रूप से किया जा रहा है। जिसमें निम्न विवरण के अनुसार पैरामीटर प्राप्त हो रहे है, जो कि मानकों के अनुरूप है **(रिपोर्ट संलग्न) :–**

Inlet and Outlet parameters for 26 MLD STP Laxmital Jhansi

Sl. No.	Parameters	Unit	As per Contract Bond quality standards		Current Achievement of Treated Effluent at STP
			Influent sewage/ Inlet	Treated Sewage/ Outlet	
1	pH	--	6.5-8.5	6.5-8.5	7.4-7.5
2	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Mg/lit	180-200	10 or less	6.0-9.9
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	Mg/lit	400-500	100 or less	42.0-55.0
4	Total Suspended Solids (TSS)	Mg/lit	250-300	30 or less	11.0-23.0
5	Fecal Coliform Count	MNP	10	<1000	480

Outlet parameters for 4 MLD Tursury treatment plant at 26 MLD STP Laxmital Jhansi

Sl. No.	Parameters	Unit	Treated Sewage/ Outlet	Achievement of quality standards
1	pH	--	6.5-8.5	7.3-7.5
2	Dissolved Oxygen		≥ 5	4.00
3	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Mg/lit	≤ 3	2.2-3.0
4	Fecal Coliform Count	MNP	2500 or 1000	950

उक्त एस0टी0पी0 से शोधित जल के नमूनों का परीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 झाँसी द्वारा भी नियमित समय पर किया जा रहा है, जिनकी परीक्षण रिपोर्ट में शोधित जल के पैरामीटर मानकों के अनुरूप पाये गये है। **(रिपोर्ट संलग्न)**

23.03.23

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
झाँसी

5/3

SEWAGE ANALYSIS REPORT

GEO MILLER & CO. PVT. LTD., JHANSI

PERIOD: 01.03.2023 TO 22.03.2023 — 26 MLD SEWAGE TREATMENT PLANT, U.P. JAL NIGAM, JHANSI, U.P.

SL	DATE	Raw Sewage at Inlet (MLD)	INLET				OUTLET				4 MLD TTP	
			pH	TSS (Mg/L)	COD (Mg/L)	BOD (Mg/L)	pH	TSS (Mg/L)	COD (Mg/L)	BOD (Mg/L)	pH	BOD (Mg/L)
1	01-03-2023	16.93	7.4	149.0	399.9	160.0	7.5	11.0	43.6	9.0	7.5	2.8
2	02-03-2023	20.23	7.4	130.0	386.2	138.0	7.5	13.0	43.3	8.7	7.5	2.4
3	03-03-2023	18.34	7.4	150.0	404.9	148.0	7.5	15.0	43.0	9.3	7.5	2.8
4	04-03-2023	17.11	7.5	155.0	419.3	152.0	7.5	12.0	50.1	9.6	7.5	2.4
5	05-03-2023	25.23	7.3	137.0	414.2	140.0	7.4	14.0	42.8	9.0	7.5	2.8
6	06-03-2023	17.28	7.3	141.0	425.5	148.0	7.5	23.0	46.0	9.3	7.5	2.6
7	07-03-2023	24.45	7.4	160.0	431.0	156.0	7.5	17.0	52.9	8.0	7.5	3.0
8	08-03-2023	22.34	7.4	149.0	415.4	148.0	7.4	18.0	49.2	9.9	7.5	2.6
9	09-03-2023	18.37	7.4	130.0	391.5	136.0	7.5	15.0	45.4	9.0	7.5	3.0
10	10-03-2023	23.76	7.4	143.0	398.5	140.0	7.5	19.0	48.9	9.6	7.5	2.8
11	11-03-2023	20.29	7.3	152.0	421.5	154.0	7.4	18.0	52.2	9.9	7.5	2.6
12	12-03-2023	19.56	7.4	141.0	411.7	134.0	7.4	14.0	48.4	9.0	7.5	3.0
13	13-03-2023	19.34	7.3	139.0	397.9	150.0	7.4	16.0	44.9	9.6	7.4	2.6
14	14-03-2023	18.65	7.3	150.0	413.7	160.0	7.4	19.0	55.1	7.0	7.5	3.6
15	15-03-2023	19.45	7.4	129.0	428.0	144.0	7.4	23.0	47.9	6.0	7.5	2.8
16	16-03-2023	25..89	7.3	133.0	409.5	140.0	7.4	20.0	44.3	8.0	7.3	2.4
17	17-03-2023	18.02	7.3	141.0	391.1	138.0	7.4	18.0	61.4	7.0	7.3	2.6
18	18-03-2023	19.78	7.3	160.0	417.7	148.0	7.4	17.0	47.9	5.0	7.4	2.8
19	19-03-2023											
20	20-03-2023											
21	21-03-2023											
22	22-03-2023											
23	23-03-2023											
24	24-03-2023											
25	25-03-2023											
26	26-03-2023											
27	27-03-2023											
28	28-03-2023											

G.M.C.P.L

GEO MILLER & CO. PVT. LTD. ★ JHANSI

5/4

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of Industry's Representative : Mr. Narendra Chandra (Chemist).
3. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (ASO) & Rishi Kumar(LA).
4. Date of Sample Collection : 11.01.2023
5. Sampling Point : Inlet of STP.
6. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value
1.	Colour	Blackish
2.	Odour	Foul
3.	pH	7.50
4.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27^0c}$)	186.0
5.	Chemical Oxygen Demand	560.00
6.	Total Suspended Solid	237.00
7.	Total Dissolved Solid	570.00
8.	Total Solid	807.00
9.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	59000.00
10.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	1,20,000.00

Analyzed By:

19/1/2023
Assistant Scientific Officer

19.1.23
Regional Officer

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

Month: January 2023

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of Industry's Representative : Mr. Kaushal Kishore (Chemist).
3. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (ASO) & Rishi Kumar(LA).
4. Date of Sample Collection : 11.01.2023
5. Sampling Point : Final Outlet of STP after chlorination.
6. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value	Standard Limit as per MoEF and CC Notification October 2017
1.	Colour	Colourless	All efforts should be made to remove colour and unpleasant odour as far as practicable.
2.	Odour	Odourless	
3.	pH	7.50	6.5-9.0
4.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27}$ ^{0}c)	9.00	30 mg/l
5.	Chemical Oxygen Demand	36.00	
6.	Total Suspended Solid	14.00	<100 mg/l
7.	Total Dissolved Solid	502.00	-
8.	Total Solid	516.00	-
9.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	360.00	<1000
10.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	4000.00	

Analyzed By:

19/01/2023
Assistant Scientific Officer

19.1.23
Regional Officer

5/6

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of Industry's Representative : Mr. Kaushal Kishore.
3. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (ASO) & Rishi Kumar(LA).
4. Date of Sample Collection : 20.01.2023
5. Sampling Point : Final Outlet of STP after chlorination.
6. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value	Standard Limit as per MoEF and CC Notification October 2017
1.	Colour	Colourless	All efforts should be made to remove colour and unpleasant odour as far as practicable.
2.	Odour	Odourless	
3.	pH	7.70	6.5-9.0
4.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27}$^{0}c)	8.00	30 mg/l
5.	Chemical Oxygen Demand	34.00	
6.	Total Suspended Solid	15.00	<100 mg/l
7.	Total Dissolved Solid	520.00	-
8.	Total Solid	535.00	-
9.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	470.00	<1000
10.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	4100.00	

Analyzed By:

24/01/2023
Assistant Scientific Officer

24.1.23
Regional Officer

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of Industry's Representative : Mr. Kaushal Kishor.
3. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (ASO) & Rishi Kumar(LA).
4. Date of Sample Collection : 20.01.2023
5. Sampling Point : Inlet of STP.
6. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value
1.	Colour	Blackish
2.	Odour	Foul
3.	pH	7.30
4.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27^0C}$)	184.0
5.	Chemical Oxygen Demand	540.00
6.	Total Suspended Solid	231.00
7.	Total Dissolved Solid	575.00
8.	Total Solid	806.00
9.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	63,000.00
10.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	1,10,000.00

Analyzed By:

24/01/2023

Assistant Scientific Officer

24.1.23

Regional Officer

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of Industry's Representative : Mr. Dharmveer Singh(Supervisor)..
3. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (ASO) & Rishi Kumar(LA).
4. Date of Sample Collection : 09.02.2023
5. Sampling Point : Final Outlet of STP after chlorination.
6. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value	Standard Limit as per MoEF and CC Notification October 2017
1.	Colour	Colourless	All efforts should be made to remove colour and unpleasant odour as far as practicable.
2.	Odour	Odourless	
3.	pH	7.50	*6.5-9.0*
4.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27^0c}$)	9.00	30 mg/l
5.	Chemical Oxygen Demand	28.00	
6.	Total Suspended Solid	16.00	<100 mg/l
7.	Total Dissolved Solid	560.00	-
8.	Total Solid	576.00	-
9.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	480.00	<1000
10.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	4300.00	

Analyzed By:

14/2/2023
Assistant Scientific Officer

14.2.2023
Regional Officer

5/9

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of Industry's Representative : Mr. Dharmveer Singh(Supervisor).
3. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (ASO) & Rishi Kumar(LA).
4. Date of Sample Collection : 09.02.2023
5. Sampling Point : Inlet of STP.
6. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value
1.	Colour	Blackish
2.	Odour	Foul
3.	pH	7.20
4.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27^0c}$)	188.00
5.	Chemical Oxygen Demand	560.00
6.	Total Suspended Solid	234.00
7.	Total Dissolved Solid	580.00
8.	Total Solid	814.00
9.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	68,000.00
10.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	1,20,000.00

Analyzed By:

14/2/2023
Assistant Scientific Officer

14-2-2023
Regional Officer

5/10

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of Industry's Representative : Mr. Dharmveer Singh(Supervisor).. .
3. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (ASO).
4. Date of Sample Collection : 22.02.2023
5. Sampling Point : Final Outlet of STP after chlorination.
6. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value	Standard Limit as per MoEF and CC Notification October 2017
1.	Colour	Colourless	All efforts should be made to remove colour and unpleasant odour as far as practicable.
2.	Odour	Odourless	
3.	pH	7.70	6.5-9.0
4.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27^0c}$)	8.00	30 mg/l
5.	Chemical Oxygen Demand	26.00	
6.	Total Suspended Solid	14.00	<100 mg/l
7.	Total Dissolved Solid	556.00	-
8.	Total Solid	570.00	-
9.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	600.00	<1000
10.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	2500.00	

Analyzed By:

28/2/2023

Assistant Scientific Officer

28.2.2023

Regional Officer

5/11

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of Industry's Representative : Mr. Dharmveer Singh(Supervisor).
3. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (ASO).
4. Date of Sample Collection : 22.02.2023
5. Sampling Point : Inlet of STP.
6. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value
1.	Colour	Blackish
2.	Odour	Foul
3.	pH	7.30
4.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27^0c}$)	184.00
5.	Chemical Oxygen Demand	540.00
6.	Total Suspended Solid	218.00
7.	Total Dissolved Solid	578.00
8.	Total Solid	796.00
9.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	60,000.00
10.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	1,10,000.00

Analyzed By:

28/2/2023
Assistant Scientific Officer

28.2.2023
Regional Officer

5/12

Regional Laboratory

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of Industry's Representative : Mr. Dharmveer Singh(Supervisor)..
3. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (ASO) & Rishi Kushwaha(LA).
4. Date of Sample Collection : 06.03.2023
5. Sampling Point : Final Outlet of STP after chlorination.
6. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value	Standard Limit as per MoEF and CC Notification October 2017
1.	Colour	Colourless	All efforts should be made to remove colour and unpleasant odour as far as practicable.
2.	Odour	Odourless	
3.	pH	7.50	6.5-9.0
4.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27^0C}$)	9.00	30 mg/l
5.	Chemical Oxygen Demand	28.00	
6.	Total Suspended Solid	16.00	<100 mg/l
7.	Total Dissolved Solid	560.00	-
8.	Total Solid	576.00	-
9.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	700.00	<1000
10.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	2600.00	

Analyzed By:

13/3/2023
Assistant Scientific Officer

13.3.2023
Regional Officer

STP

Regional Laboratory

5/13

Ph- 0510-2320473
email- rojhansi@uppcb.in

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

AVAS VIKAS COLONY (TALPURA YOJNA)
KANPUR ROAD, JHANSI

ANALYSIS REPORT

1. Name of Effluent Generator Institute : 26 MLD STP of Laxmi Tal, Jhansi.
2. Name of Industry's Representative : Mr. Dharmveer Singh(Supervisor).
3. Sample collected by : Arun Kumar Mishr (ASO) & Rishi Kushwaha(LA).
4. Date of Sample Collection : 06.03.2023
5. Sampling Point : Inlet of STP.
6. Sample Method : Grab.

S.N.	Parameter's	Value
1.	Colour	Blackish
2.	Odour	Foul
3.	pH	7.10
4.	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.$_{3,27}$ ^{0}c)	186.00
5.	Chemical Oxygen Demand	560.00
6.	Total Suspended Solid	221.00
7.	Total Dissolved Solid	572.00
8.	Total Solid	793.00
9.	Faecal Coliform (MPN Index/100 ml)	68,000.00
10.	Total Coliform (MPN Index/100 ml)	1,20,000.00

Analyzed By:

13/3/2023
Assistant Scientific Officer

13.3.2023
Regional Officer

संलग्नक -6

MONITORING OF INDIAN NATIONAL AQUATIC RESOURCES

MINARS/GEMS

MINDAT/GLOWDAT

1 STATION CODE	2501	Station	Laxmi Pond, Jhansi
2 DATE & TIME OF SAMPLE TAKEN (DD/MM/YY)	200323 1245	Type	Grab
3 WEATHER	Clear	Completed By	DR. Krishna Rawat (JRF)
4 APPROX DEPTH OF MAIN STREAM	50-100cm.	Verified By	Arun Kumar Mishra, A.S.O.
5 COLOUR & INTENSITY	Turbid / Moderate	Agency	Regional Office U.P.Pollution Control Board Jhansi
6 ODOUR	Odourless		
7 VISIBLE EFFLUENT DISCHARGE IN PROXIMITY	None		
8 HUMAN ACTIVITY AROUND STATION	Other		
9 LOCATION DETAIL			

DETERMINAND	CODE	ACQFLAG	VALUE	DETERMINAND	CODE	ACQFLAG	VALUE
TEMPERATURE oC	024	01N	22.00	TURBIDITY NTU	02101	N	15.00
pH	103	02N	7.60	VELOCITY FLOW	02102	N	
CONDUCTIVITY umhos/cm	020	41N	631.00	TOTAL KJELDAHL NITROGEN mg/l	07001	N	
ALKALINITY mg/l	102	02N	95.00	HARDNESS mg/l	22101	N	305.00
DISSOLVED OXYGEN mg/l	081	01N	5.00	TOTAL COLIFORM MPN/100ml	37011	N	
BOD mg/l	082	01N	8.00	TOTAL DISSOLVED SOLIDS mg/l	33333	N	509.00
COD mg/l	083	01N	28.00	TOTAL SUSPENDED SOLIDS mg/l			56.00
CHLORIDE mg/l	172	01N	40.00	FIXED DISSOLVED SOLIDS mg/l	44444	N	
SULPHATE mg/l	163	02N		AMMONIA NITROGEN mg/l	07551	N	
SODIUM mg/l	111	03N		BORON DISSOLVED mg/l	05105	N	
CALCIUM AS CaCO3 mg/l	201	01N	210.00	PHOSPHATE mg/l			
MAGNESIUM AS CaCO3 mg/l	121	03N	95.00	FLOURIDE (mg/l)			
FECAL COLIFORM MPN/100ml	360	01N		NITRATE-N mg/l			
POTASSIUM							

ASO

RO 24.3.23

Treated Sewage Waste Water Discharge Quality Status Data of 26.0 MLD Laxmi Tal Sewage Treatment Plant, Jhansi

S.No.	Date of Sampling	Analyzed Parameters for Treated Sewage Discharge in to drain					
		pH	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D 3-27^{0}C)	Chemical Oxygen Demand	Total Suspended Solid	Total Solid	Oil and Grease
1	30.09.2022	7.5	9.0	28.0	17.0	515.0	2.5
2	12.10.2022	7.3	8.0	26.0	15.0	516.0	2.4
3	07.11.2022	7.6	12.0	42.0	18.0	517.0	2.8
4	06.12.2022	7.7	9.0	36.0	15.0	516.0	2.5
5	20.01.2023	7.7	8.0	34.0	15.0	535.0	-
6	09.02.2023	7.5	9.0	28.0	16.0	576.0	-
7	06.03.2023	7.7	8.0	24.0	14.0	578.0	-
Standard Limit as per MoEF and CC Notification October 2017		6.5-9.0	30 mg/l	-	<100 mg/l	-	10 mg/l

26.0 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लक्ष्मीताल के निकट समीप स्थित है, जो एस0बी0आर0 तकनीकी आधार पर डिजाइन है। 26.0 एम0एल0डी0 मे से 22.0 एम0एल0डी0 मात्रा का शुद्धिकृत उत्प्रवाह नारायण बाग के नाले मे निस्तारित किया जाता है, 4.0 एम0एल0डी0 टरसरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से शुद्धिकृत कर लक्ष्मीताल मे वर्तमान मे निस्तारित किया जाना प्रारम्भ किया गया है, ताकि लक्ष्मीतालाब का वाटर लेवल मैटेन रहे। टरसरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से निस्तारित जल की गुणवत्ता मे सुधार होने की सम्भावना है।

Water Quality of Laxmi Tal						
S.No.	Date of Sampling	pH	DO	Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.3-27^{0}C)	Chemical Oxygen Demand	Total Suspended Solid
1	30.09.2022	7.5	4.6	14.0	58.0	85.0
2	28.10.2022	7.6	4.5	16.0	48.0	78.0
3	07.11.2022	7.7	4.9	12.0	46.0	67.0
4	16.12.2022	7.6	5.3	10.0	44.0	62.0
5	20.01.2023	7.6	5.6	12.0	38.0	56.0
6	09.02.2023	7.5	5.1	10.0	34.0	51.0
7	20.03.2023	7.6	5.0	8.0	28.0	56.0

नोट : पूर्व मे लक्ष्मीताल के एकत्रित जल के नमूनो मे प्रचालको यथा (BOD 10-16 mgl, COD 34-58 mg/l, DO 4.5-5.1) पायी गयी, किन्तु लक्ष्मीताल मे टरसरी ट्रीटमेन्ट के पश्चात् छोड़े गये, शुद्धिकृत उत्प्रवाह के कारण जल के नमूने मे BOD 8.0 mg/l, , COD 28.0 mg/l, DO 5.0 mg/l पायी गयी, जिससे यह निष्कर्षित होता है कि टरसरी ट्रीटमेन्ट के पश्चात् जल छोड़े जाने से जल की गुणवत्ता मे सुधार हुआ है।

Deepa 24.3.23

(दीपा अरोरा)

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक-7

JHANSI SMART CITY LIMITED

Regd. Office - Jhansi Nagar Nigam, Jhansi 284001
CIN- U75230UP2016SGC087873
Email.id- jhansismartcityltd@gmail.com

Ref No.: JSCL/GM-CE/22-23/ /693

Date: 28th February, 2023

Seen

To

Additional Municipal Commissioner
Municipal Corporation
Jhansi

01/03/23

Sub: Regarding works under project "Re-development & Beautification of Laxmi Taal"

Ref JSCL/PMC/22-23/1268 dated 28/02/23

Dear Sir,

In reference to Subject cited above, it is submitted that:

1. The work for connecting sewage water from Om Shanti Nagar to SPS-2 of Jal Nigam through drain constructed under Laxmi Taal project is completed.
2. The filling of Laxmi Taal with 4 MLD treated water from STP of Jal Nigam started

As such it is conformed that no sewage water now entering in Laxmi Taal area.
Submitted for your kind perusal please.

Thanks & Regards
Yours Sincerely

General Manager/Chief Engineer
Jhansi Smart City Limited

Copy to: For kind information:
Chief Executive Officer, Jhansi Smart City Limited, Jhansi.

General Manager/Chief Engineer
Jhansi Smart City Limited

01/3/23

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

संलग्नक-8

प्रेषक,

उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण
झाँसी।

सेवा में,

जिलाधिकारी
झाँसी।

संख्या–5581/जे.डी.ए./मा0रा0हरि0अधि0/(2022–23) दिनांक 24 मार्च 2023

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर E.A. No. 38/2022, O.A. No. 165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य व मूल प्रा0पत्र संख्या–114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा व अन्य अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र संख्या–356/ओ.एस.डी. दिनांक 24.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 14.12.2022 एवं 02.01.2023 के अनुपालन में वांछित सूचना निम्न है।

1. झांसी महायोजना–2001 के प्रस्तर 2.3.5 के अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत 967.17हे0 भूमि प्रस्तावित की गई थी। महायोजना के प्रस्तर 2.3.5.1 के अनुसार महायोजना में कुल 504.83हे0 भूमि नगर पार्क, प्रखण्डीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थलों आदि के लिये प्रस्तावित की गई थी। महायोजना के अनुसार नगर के पूर्व स्थित लक्ष्मीताल एवं नारायण बाग के समीप के आस–पास की भूमि पर 98.38हे0 के क्षेत्र को नगर पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव महायोजना में किया गया था। (छायाप्रति संलग्न है)
2. झांसी महायोजना–2021 के अनुसार राजस्व ग्राम–**झांसी खास में 24.52हे0 भूमि,** राजस्व ग्राम–**झांसी सिविल में 10.57हे0 भूमि,** राजस्व ग्राम–डडियापुरा में 121.44हे0 भूमि, राजस्व ग्राम–तालपुरा में 11.31हे0 भूमि, राजस्व ग्राम–पिछोर में 37.73हे0 भूमि नगर पार्क हेतु प्रस्तावित की गई है। जिसमें राजस्व ग्राम–पिछोर, डड़ियापुरा एवं तालपुरा की भूमि 170.48हे0 है, में से 44.74हे0 शासकीय भूमि पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क पूर्व से विकसित है। शेष 125.74हे0 निजी कास्तकारों की है।

   नगर पार्क की भूमि पर सर्वेक्षण टीम गठित कर पुलिस बल के साथ सर्वेक्षण का कार्य किया गया, जिसमें निजी कास्तकारों द्वारा प्रबल विरोध किये जाने के कारण सर्वेक्षण का कार्य करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार 125.74हे0 (निजी कास्तकारों) भूमि में से 25.32हे0 भूमि रिक्त है, जो अलग–अलग टुकड़ों में स्थित है। सर्वेक्षण में कुल 2390 भवन पाये गये, जिसमें उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। उक्त क्षेत्र में लगभग 13000 लोग निवासरत हैं। यह क्षेत्र घनी एवं मिश्रित आबादी के बीच बसा हुआ है, वहां के निवासियों द्वारा प्रबल विरोध किया जा रहा है।

(2)

3. प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम–झांसी खास, बूढ़ा एवं नयागांव के आराजी संख्याओं का टीम द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें झांसी महायोजना 2021 के सजरा प्लान के अनुसार **राजस्व ग्राम–बूढ़ा** के आराजी संख्या–38, 132 एवं 133 का भू–उपयोग प्रस्तावित व्यवसायिक (केन्द्रीय क्रियायें–उच्च स्तर) है, आराजी संख्या–123 का भू–उपयोग प्रस्तावित आवासीय (मध्यम घनत्व) है एवं आराजी संख्या–297, 298, 300, 304 एवं 305 का भू–उपयोग प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क है। इसी प्रकार **राजस्व ग्राम–नयागांव** के आराजी संख्या–560/8 एवं 560/9 का झांसी महायोजना 2021 के अनुसार भू–उपयोग प्रस्तावित उद्योग (वृहद उद्योग) है।

झांसी महायोजना–2001 के प्रस्तर 2.3.5.1 के अनुसार महायोजना में कुल 504.83हे0 भूमि नगर पार्क, प्रखण्डीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थलों आदि के लिये प्रस्तावित की गई है। झांसी महायोजना–2021 के अनुसार कुल 641.93हे0 भूमि प्रखण्डीय पार्क हेतु प्रस्तावित की गई है। झांसी महायोजना–2001 एवं 2021 जी0आई0एस0 आधारित न होने के कारण राजस्व ग्राम वार प्रखण्डीय पार्क किस ग्राम में कितना हे0 है यह उल्लिखित नही है।

अतः वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम–बूढ़ा, नयागांव एवं झांसी खास क्षेत्र में प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण एवं प्रखण्डीय पार्क के क्षेत्रफल का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 220 भवनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। यह क्षेत्र घनी एवं मिश्रित आबादी के बीच बसा हुआ है। जहां पर निजी कास्तकारों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रबल विरोध किया जा रहा है जिससे क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। इस कारण सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने में लगभग 02 माह का अतिरिक्त समय लगने की सम्भावना है।

अतः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली से राजस्व ग्राम–बूढ़ा, नयागांव एवं झांसी खास क्षेत्र में प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क की भूमि का सर्वेक्षण का कार्य करने में 02 माह का अतिरिक्त समय प्रदान कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक यादव)
उपाध्यक्ष
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प्रेषक,

उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण
झाँसी।

सेवा में,

जिलाधिकारी
झाँसी।

संख्या- 5519 / जे.डी.ए. / मा0रा0हरि0अधि0 / (2022-23) दिनांक 23 मार्च 2023

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर E.A. No. 38/2022, O.A. No. 165/2021 गिरिजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य व मूल प्रा0पत्र संख्या-114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा व अन्य अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल प्रार्थना पत्र संख्या 165/2021 गिरजाशंकर राय आदि बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य एवं मूल प्रा0पत्र संख्या-114/2021 नरेन्द्र कुशवाहा व अन्य अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य प्रस्तुत किया गया था। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 14.09.2022, 10.10.2022 14.12.2022 एवं 02.01.2023 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :-

1. झांसी महायोजना 2021 में लक्ष्मी ताल के निकट नगर पार्क हेतु प्रस्तावित 125.74हे0 भूमि (निजी कास्तकार) में से 100.42हे0 भूमि में वर्ष 1970 से अब तक आबादी विकसित हो जाने के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इसे आवासीय किये जाने का अनुमोदन दिया गया है।
2. अवैध निर्माण को रोकने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें 115 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं।
3. प्राधिकरण द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा 26 प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर किये गये हैं, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
4. शेष प्रकरणों में स्थल पर ध्वस्तीकरण किये जाने हेतु पर्याप्त दल बल के साथ कार्यवाही की गयी। इस क्षेत्र में घनी एवं मिश्रित आबादी बसी हुई है, क्षेत्रवासियों के प्रबल विरोध करने के कारण उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की धारा 27 की कार्यवाही में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। प्रस्तावित नगर पार्क/प्रखण्डीय पार्क की भूमि का सर्वेक्षण का कार्य अन्य स्थल पर भी प्राधिकरण की टीम द्वारा किया जा रहा है।
5. झांसी महायोजना-2021 में प्रस्तावित नगर पार्क की रिक्त भूमि पर अनाधिकृत निर्माण तथा भूमि के विक्रय को रोकने के उद्देश्य से स्थल की रिक्त भूमि पर साईन बोर्ड लगाये गये हैं।
6. झांसी महायोजना 2021 के अनुसार राजस्व ग्राम पिछोर, डड़ियापुरा, तालपुरा, झांसी खास एवं झांसी सिविल में नगर पार्क प्रस्तावित किया गया है, जिसमें नगर पार्क हेतु कुल 205.57हे0 भूमि प्रस्तावित है। नगर पार्क हेतु प्रस्तावित राजस्व ग्राम-पिछोर, डड़ियापुरा एवं तालपुरा की भूमि 170.48हे0 है, जिसमें 44.74हे0 शासकीय भूमि है इस पर नारायण बाग के नाम से नगर पार्क पूर्व से विकसित है। शेष 125.74हे0 (निजी कास्तकारों) भूमि पर सर्वेक्षण टीम गठित कर पुलिस बल के साथ सर्वेक्षण का कार्य किया गया, जिसमें निजी कास्तकारों

द्वारा प्रबल विरोध किये जाने एवं विकास प्राधिकरण कार्यालय में स्टाफ की कमी के कारण सर्वेक्षण का कार्य करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार 125.74हे0 (निजी कास्तकारों) भूमि में से 25.32हे0 भूमि रिक्त है, जो अलग-अलग टुकड़ों में स्थित है। सर्वेक्षण में कुल 2390 भवन पाये गये, जिसमें उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। उक्त क्षेत्र में लगभग 13000 लोग निवासरत हैं। यह क्षेत्र घनी एवं मिश्रित आबादी के बीच बसा हुआ है, वहां के निवासियों द्वारा प्रबल विरोध किया जा रहा है।

7. झांसी महायोजना-2021 में राजस्व ग्राम पिछोर, डड़ियापुरा एवं तालपुरा में प्रस्तावित नगर पार्क (नारायण बाग को छोड़कर) 100.42हे0 के स्थान पर झांसी महायोजना 2031 में राजस्व ग्राम बिजौली में 210.00हे0 भूमि में नगर पार्क प्रस्तावित किया गया है। झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित ग्रीन एरिया 1280.62हे0 है, जबकि झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया 2325.69हे0 है। प्रस्तावित क्षेत्रफल के सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, सम्भागीय नियोजन खण्ड, झांसी की आख्या अवलोकनीय है। (छायाप्रति संलग्न है)

8. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02.01.2023 में उल्लिखित राजस्व ग्राम-झांसी खास, बूढ़ा एवं नयागांव के आराजी संख्याओं का टीम द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, सर्वेक्षण उपरान्त एवं झांसी महायोजना 2021 के अनुसार **राजस्व ग्राम-बूढ़ा** में आराजी संख्या-38, 132 एवं 133 का भू-उपयोग प्रस्तावित व्यवसायिक (केन्द्रीय क्रियायें-उच्च स्तर) है, आराजी संख्या-123 का भू-उपयोग प्रस्तावित आवासीय (मध्यम घनत्व) है एवं आराजी संख्या-297, 298, 300, 304 एवं 305 का भू-उपयोग प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क है।

9. इसी प्रकार **राजस्व ग्राम-नयागांव** के आराजी संख्या-560/8 एवं 560/9 का झांसी महायोजना 2021 के अनुसार भू-उपयोग प्रस्तावित उद्योग (वृहद उद्योग) है। **राजस्व ग्राम झांसी खास** के आराजी संख्या-751 का झांसी महायोजना 2021 के अनुसार भू-उपयोग प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क है। उक्त राजस्व ग्रामों में प्रखण्डीय पार्क में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

10. प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम-बूढ़ा, नयागांव एवं झांसी खास क्षेत्र में प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क की भूमि का सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 220 भवनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इन क्षेत्र में से झांसी खास का क्षेत्र घनी एवं मिश्रित आबादी के बीच बसा हुआ है, जिससे क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य करने में कठिनाई आ रही है। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने में लगभग 02 माह का अतिरिक्त समय लगने की सम्भावना है।

अतः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली से राजस्व ग्राम-बूढ़ा, नयागांव एवं झांसी खास क्षेत्र में प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क की भूमि का सर्वेक्षण का कार्य करने में 02 माह का अतिरिक्त समय दिलाये जाने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक यादव)
उपाध्यक्ष
झांसी विकास प्राधिकरण,
झांसी

कार्यालय, सहयुक्त नियोजक,
ग्राम एवं नगर नियोजक विभाग, सम्भागीय नियोजन, खण्ड झांसी।

संख्या– ६२५ / सह0नियो0 / (2021–22) दिनांक 30 मार्च 2022

प्रेषक,

सहयुक्त नियोजक
ग्राम एवं नगर नियोजक विभाग
सम्भागीय नियोजन, खण्ड
झांसी।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
झांसी विकास प्राधिकरण,
झांसी।

विषय :– अमृत योजना अन्तर्गत झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण सीमान्तर्गत महायोजना 2021 एवं झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया (GIS Based) का विवरण निम्न प्रकार है :–

झांसी महायोजना 2021 में प्रस्तावित ग्रीन एरिया – 1280.62 हे0
झांसी महायोजना 2031 (ड्राफ्ट) में प्रस्तावित ग्रीन एरिया – 2325.69 हे0

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

(एन.के.पुष्कर्णा) 30/3/22
सहयुक्त नियोजक
सम्भागीय नियोजन खण्ड, झांसी

CIN : U74999DL2017PTC313800

Citiyano

CITIYANO DE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

E-24, Gali No. 25, Madhu Vihar, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092
Website : www.citiyanode.com
Email : contact@citiyanode.com
citiyano.de@gmail.com
Phone No. : +91-120-4565040, +91-8076298926

Ref No:803/Reply_Landdetails/CDSPL-2021-22

Date: 30th March 2022

To
The Secretary
Jhansi Development Authority (JDA)
In front of Circuit House, Jhansi
Uttar Pradesh-284001.
Email: jda_jhansi@reddifmail.com

Subject: - Land Details of City Park in the Draft Master Plan prepared for 2031 - Reg

Refs: Letter No.1954/JDA/(2021-22) dated on 29th March 2022.

Respected Sir,

Thank you for your communication. As per your requirement in letter referenced above, we are hereby providing you the details of City Park, revenue village wise and the deviation in the Existing Master Plan-2021.

We would like to Thank in advance in anticipation of your kind support

Kindly refer the tentative table below for the same.

S.No	Revenue Village	Total Area of City Park (Ha)	Area of City Park		Deviation (Ha)	Vacant Land (Ha)
			Private (Ha)	Govt. (Ha)		
1	Pichhorre	37.73	37.73	-	29.19	8.54
2	Talpura	11.31	11.31	-	10.85	0.46
3	Dadiyapura	121.44	76.70	44.74	60.38	16.32
	Total	170.48	125.74	44.74	100.42	25.32

Copy To:
The Secretary General, ISPER, Panchukula, Haryana.

Yours Sincerely

30/03/22.

Bhargav Kumar Gorrigala,
Asst. Manager Planning,
Citiyano De Solutions Pvt. Ltd.

संलग्नक - 9

ऐसे उद्योगों को जो कि वर्तमान नगर में आवासीय क्षेत्रों में स्थित हैं और शोरगुल एवं दूषित वातावरण उत्पन्न करते है, महायोजना में उद्योगों के लिये निर्धारित स्थानों पर स्थानान्तरित करने का सुझाव दिया गया है ।

2.3.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधायें :- वर्तमान नगर में सामुदायिक सुविधायें जनसंख्या की आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं हैं । विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत महायोजना में 967.17 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 21.00 प्रतिशत है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

2.3.5.1 पार्क, क्रीड़ा स्थल, खुले क्षेत्र एवं मनोरंजन सुविधायें :- पार्क, तथा क्रीड़ा स्थल नागरिकों को रमणीक दृश्य एवं शुद्ध वायु के साथ-साथ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं । नगर की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुये महायोजना में कुल 504.83 हेक्टेयर भूमि नगर पार्क, प्रखंडीय पार्क एवं क्रीड़ा स्थलों आदि के लिये प्रस्तावित की गई है । इन खुले क्षेत्रों का प्रावधान 1.21 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के मानक से किया गया है । खुले क्षेत्रों के लिये भूमि प्रस्तावित

करते समय वर्तमान नालों, खुले स्थलों, निचले क्षेत्रों, जलाशयों एवं उद्यानों का व्यवहारिक उपयोग किया गया है जिससे इनकी स्थिति व वितरण संतुलित एवं क्रियात्मक होगी और जन-समूह लाभान्वित हो सकेगा । नगर के पूर्व स्थित लक्ष्मीताल एवं नारायन बाग के समीप के आसपास की भूमि पर 198.38 हेक्टेयर (490 एकड़) के क्षेत्र को नगर पार्क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव महायोजना में किया गया है । लक्ष्मीताल को छटायुक्त झील के रूप में विकसित करके इसे पिकनिक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है ।

महायोजना में 253.44 हेक्टेयर (626 एकड़) क्षेत्र में प्रखंडीय पार्क जो विभिन्न नियोजन प्रखंडों में स्थित हैं, प्रस्तावित किये गये हैं । ये विभिन्न नियोजन प्रखंडों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त होंगे । नगर की दीवार से घिरे क्षेत्र एवं सिविल लाइन्स में 53.01 हेक्टेयर का क्षेत्र, क्रीड़ा स्थलों एवं पार्कों को विकसित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर 208.10 हेक्टेयर (514 एकड़) का एक क्षेत्रीय पार्क पहुंज बाँध के पास

पहुंज नदी के पूर्व की ओर प्रस्तावित किया गया है ।

2.3.5.2 शिक्षा :- महायोजना में शिक्षा सुविधाओं के लिये कुल 242.91 हेक्टेयर
(600 एकड़) का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जिसमें 112.96 हेक्टेयर
(279 एकड़) का क्षेत्र झांसी-कानपुर मार्ग के समीप बुन्देलखंड विश्व-
विद्यालय हेतु प्रस्तावित है । नगर में वर्तमान में तीन डिग्री कालेज हैं ।
इसके अतिरिक्त नये प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में तीन नये डिग्री कालेजों
का प्रस्ताव किया गया है जिसमें प्रत्येक कालेज के लिये लगभग 6.10 हेक्टेयर
भूमि का प्रावधान है । प्रत्येक डिग्री कालेज लगभग 70,000 की जनसंख्या
के लिये पर्याप्त होगा तथा नये विकसित होने वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं
की पूर्ण रूप से पूर्ति करेगा ।

नगर के खुले क्षेत्रों में स्थित वर्तमान डिग्री कालेज एवं माध्यमिक
विद्यालय तथा नव-प्रस्तावित डिग्री कालेजों के लिये महायोजना में
89.07 हेक्टेयर (220 एकड़) तथा तकनीकी संस्थानों हेतु 41.30 हेक्टेयर
(102 एकड़) का क्षेत्र आरक्षित किया गया है । परन्तु वर्तमान स्थान